



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10072024-255316  
CG-DL-E-10072024-255316

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 353]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 10, 2024/आषाढ 19, 1946

No. 353]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 10, 2024/ASHADHA 19, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2024

सं. 12/2024-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 376(अ).—केंद्रीय सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उपनियम कहा गया है), अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, नियम 8 के उपनियम (4क) में, पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह और कि धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति जिसने आधार सं. के अधिप्रमाणन के लिए विकल्प नहीं लिया है, से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा, उपनियम (4) के अधीन किया गया प्रत्येक आवेदन आवेदक का फोटोग्राफ लेने के पश्चात् किया जाएगा जहां आवेदक धारा 25 की उपधारा (6ग) के अधीन यथा अधिसूचित आवेदक के संबंध में ऐसा व्यष्टि है या ऐसे व्यष्टि हैं, जहां आवेदक व्यष्टि नहीं है, वहां इस उपनियम के प्रयोजन के लिए आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्रों में से एक केन्द्र पर प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 में आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की मूल प्रति के सत्यापन के साथ और आवेदन इस परंतुक के अधीन यथा अधिकथित सफल सत्यापन के पश्चात् ही पूर्ण समझा जाएगा।;।

3. उक्त नियम के नियम 21 में,-

(i) खंड (च) में “प्ररूप जीएसटीआर-1” शब्दों, अंकों और अक्षरों के पश्चात् “प्ररूप जीएसटीआर-1क में यथा संशोधित, यदि कोई हो” शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(छक) नियम 23 के उपनियम (1) के तीसरे या चौथे परंतुक के उपबंधों का उल्लंघन करता है; या”।

4. उक्त नियम के नियम 21क के उपनियम (2क) के खंड (क) में,-

(i) “प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत” शब्दों, अक्षरों और अंक के पश्चात् “प्ररूप जीएसटीआर-1क में यथा संशोधित, यदि कोई हो” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(ii) “उनके प्ररूप जीएसटीआर-1 में” शब्द, अक्षर और अंक के पश्चात् “या पूर्व कर अवधि, यदि कोई हो के प्ररूप जीएसटीआर-1क में” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

5. उक्त नियम के नियम 28 में, 26 अक्तूबर, 2023 से,-

(i) उपनियम (2) में,-

(क) “जो संबद्ध व्यक्ति है” शब्दों के पश्चात् “भारत में अवस्थित है” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) “प्रस्तुत की गई ऐसी गारंटी की रकम” शब्दों के पश्चात् “प्रतिवर्ष” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(ii) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

“परंतु जहां प्राप्तिकर्ता पूर्ण इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र हैं वहां बीजक में घोषित मूल्य सेवाओं के उक्त प्रदाय का मूल्य समझा जाएगा ।”।

6. उक्त नियम के नियम 36 के उपनियम(4) के खंड (क) में, “प्ररूप जीएसटीआर-1” शब्द, अक्षरों और अंक के पश्चात् “प्ररूप जीएसटीआर-1क में यथा संशोधित, यदि कोई हो” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

7. उक्त नियम के नियम 37क में “प्ररूप जीएसटीआर-1” शब्दों, अक्षरों और अंको के पश्चात् “प्ररूप जीएसटीआर-1क में यथा संशोधित, यदि कोई हो” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

8. उक्त नियम के नियम 39 में अधिसूचित की जानी वाली तारीख से,-

(i) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) इनपुट सेवा वितरक रीति में और निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए इनपुट कर प्रत्यय का वितरण करेगा, अर्थात्:-

- (क) किसी मास में वितरण के लिए उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय उसी मास में वितरित किया जाएगा और उसके ब्यौरे इन नियमों के अध्याय 8 के उपबंधों के अनुसार प्ररूप जीएसटीआर-6 में प्रस्तुत किए जाएंगे ;
- (ख) वितरित प्रत्यय की रकम वितरण के लिए उपलब्ध प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं होगी;
- (ग) प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता के कारण माने जा सकने वाली इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर का प्रत्यय केवल उस प्राप्तिकर्ता को वितरित किया जाएगा;”
- (घ) प्रत्यय के एक से अधिक प्राप्तिकर्ता के कारण माने जा सकने वाली इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर का प्रत्यय ऐसे प्राप्तिकर्ताओं में वितरित किया जाएगा जिनको ऐसी इनपुट सेवा माने जा सकने जाने योग्य है और ऐसा वितरण सुसंगत अवधि के दौरान ऐसे प्राप्तिकर्ता के किसी राज्य में आवर्त या संघ राज्य क्षेत्र में आवर्त के आधार पर ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं के कुल आवर्त का अनुपाती होगा जिसको ऐसी इनपुट सेवा माने जा सकने योग्य है और जो उक्त सुसंगत अवधि के दौरान चालू वर्ष में प्रवर्तनीय हैं ।
- (ङ) प्रत्यय के सभी प्राप्तिकर्ताओं के कारण मानी जा सकने वाली इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर का प्रत्यय ऐसे प्राप्तिकर्ताओं में वितरित किया जाएगा और ऐसा वितरण सुसंगत अवधि के दौरान ऐसे प्राप्तिकर्ता के किसी राज्य में आवर्त या संघ राज्य क्षेत्र में आवर्त के आधार पर ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं के कुल आवर्त का अनुपाती होगा और जो उक्त सुसंगत अवधि के दौरान चालू वर्ष में प्रवर्तनीय हैं ।
- (च) ऐसा इनपुट कर प्रत्यय जिसे “आरआई” प्राप्तिकर्ताओं में से किसी एक प्राप्तिकर्ता को चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या न हो, ऐसे सभी कुल प्राप्तिकर्ताओं में से, जिनके अंतर्गत ऐसे प्राप्तिकर्ता भी हैं जो छूट प्रदाय करने में लगे हुए हैं या अन्यथा किसी कारण से रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं, को खंड (घ) और खंड (ङ.) के अनुसार ऐसा कर प्रत्यय जिसे वितरित किया जाना अपेक्षित है वह रकम “सी1” होगी जिसे निम्नलिखित सूत्र को लागू करके संगणित किया जाना है-

$$सी_1 = (टी_1 / टी) \times सी$$

जहां,

“सी” वितरित की जाने वाली प्रत्यय की रकम है,

“टी<sub>1</sub>” सुसंगत अवधि के दौरान आर<sub>1</sub> व्यक्ति का वह आवर्त है, जो खंड (घ) और खंड (ङ.) में विनिर्दिष्ट है, और

“टी” सुसंगत अवधि के दौरान ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं के आवर्त का योग है जिनको खंड (घ) और खंड (ङ.) के उपबंधों के अनुसार इनपुट सेवा माने जा सकने योग्य है ;

- (छ) इनपुट सेवा वितरक, खंड (घ) और खंड (ङ.) के उपबंधों के अनुसार अपात्र इनपुट कर प्रत्यय (धारा 17 की उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन अपात्र या अन्यथा) की रकम या पात्र इनपुट कर प्रत्यय की रकम को पृथक रूप से वितरित करेगा ;

- (ज) केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का खंड (घ) और खंड (ड.) के अनुसार पृथकतः वितरण किया जाएगा ;
- (झ) एकीकृत कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय प्रत्येक प्राप्तिकर्ता को एकीकृत कर के इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वितरित किया जाएगा;
- (ञ) (i) उसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में, जिसमें इनपुट सेवा वितरक अवस्थित है, में अवस्थित प्राप्तिकर्ता के संबंध में केन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय क्रमशः केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वितरित किया जाएगा;
- (ii) इनपुट सेवा वितरक से भिन्न राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित प्राप्तिकर्ता के संबंध में केन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय एकीकृत कर के रूप में वितरित किया जाएगा और इस प्रकार वितरित की जाने वाली रकम केन्द्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर की रकम के कुल योग के बराबर होगी जो खंड (घ) और खंड (ड.) में यथा निर्दिष्ट ऐसे प्राप्तिकर्ता के लिए वितरण के लिए अर्हक है ;
- (ट) इनपुट सेवा वितरक नियम 54 के उपनियम (1) में यथा उपबंधित इनपुट सेवा वितरक बीजक जारी करेगा जो ऐसे बीजक में स्पष्टतः यह उपदर्शित करे कि यह इनपुट कर प्रत्यय के वितरण के लिए ही जारी किया गया है;
- (ठ) इनपुट सेवा वितरक नियम 54 के उपनियम (1) में यथा उपबंधित इनपुट सेवा वितरक प्रत्यय नोट प्रत्यय की कटौती के लिए जारी करेगा यदि पहले से ही वितरित इनपुट कर प्रत्यय किसी कारण से कम हो जाता है;
- (ड) प्रदायकर्ता द्वारा इनपुट सेवा वितरक को नामे नोट के जारी किए जाने के कारण इनपुट कर प्रत्यय की अतिरिक्त रकम रीति में और खंड (क) से खंड (ञ) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए वितरित की जाएगी और किसी प्राप्तिकर्ता से प्राप्त हुई मानी जा सकने वाली रकम को खंड (च) में उपबंधित रीति में संगणित किया जाएगा और ऐसा प्रत्यय उसी मास में वितरित किया जाएगा जिसमें नामे नोट प्ररूप जीएसटीआर-6 की विवरणी में सम्मिलित किया जाता है ;
- (ढ) प्रदायकर्ता द्वारा इनपुट सेवा वितरक को प्रत्यय नोट के जारी किए जाने के कारण कटौती किए जाने वाला अपेक्षित कोई इनपुट कर प्रत्यय उसी अनुपात में प्रत्येक प्राप्तिकर्ता को प्रभाजित किया जाएगा जिसमें मूल बीजक में अंतर्विष्ट इनपुट कर प्रत्यय खंड (च) के निबंधनानुसार वितरित किया गया था और इस प्रकार प्रभाजित रकम -
- (i) उस मास में वितरित की जाने वाली रकम से घटा दी जाएगी जिसमें प्रत्यय नोट प्ररूप जीएसटीआर-6 की विवरणी में सम्मिलित किया जाता है; या
- (ii) प्राप्तिकर्ता के उत्पादन कर दायित्व में वहां जोड़ी जाएगी जहां इस प्रकार प्रभाजित रकम वितरण के अधीन प्रत्यय की रकम, जो समायोजित की जाने वाली रकम से कम है, के आधार पर नकारात्मक है।”;

(ii) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1क) ऐसी इनपुट सेवाओं, जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर के उद्ग्रहण के अधीन रहते हुए, एक या अधिक सुभिन्न व्यक्तियों के कारण प्राप्त हो सकने वाली मानी जा सकती हैं, के संबंध में प्रत्यय के वितरण के लिए ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसके पास इनपुट सेवा वितरक के रूप में पैन और राज्य कोड

है, इनपुट सेवा वितरक को ऐसी सामान्य इनपुट सेवाओं के प्रत्यय को अंतरित करने के लिए नियम 54 के उपनियम (1क) के उपबंधों के अनुसार बीजक यथास्थिति प्रत्यय या नामे नोट जारी कर सकेगा और ऐसा प्रत्यय उपनियम (1) में यथा उपबंधित रीति में उक्त इनपुट सेवा वितरक द्वारा वितरित किया जाएगा।”;

(iii) उपनियम (2) में “खंड (ज)” शब्द और कोष्ठकों के स्थान पर “खंड (ड)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(iv) उपनियम (3) में “खंड (ज)” शब्द और कोष्ठकों के स्थान पर “खंड (झ)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(v) उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजन के लिए,-

(i) “सुसंगत अवधि” पद -

(क) यदि प्रत्यय का प्राप्तिकर्ता उस वर्ष जिसमें प्रत्यय वितरित किया जाना है से पूर्व के वित्तीय वर्ष में अपने राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों में आवर्त रखते हैं तो उक्त वित्तीय वर्ष में; या

(ख) यदि प्रत्यय के कुछ या सभी प्राप्तिकर्ता उस वर्ष जिसमें प्रत्यय वितरित किया जाना है, से पूर्व के वित्तीय वर्ष में अपने राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों में कोई आवर्त नहीं रखते हैं तो उस अंतिम तिमाही जिसके लिए सभी प्राप्तिकर्ताओं का ऐसे आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध हैं, उस मास जिसके दौरान प्रत्यय वितरित किया जाना है से पूर्व ;

(ii) “प्रत्यय का प्राप्तिकर्ता” पद से माल या दोनों का प्रदायकर्ता अभिप्रेत है जिसके पास वैसा ही पैन संख्या है जैसी कि इनपुट सेवा वितरक के पास पैन है ;

(iii) इस अधिनियम के अधीन कराधेय माल और साथ ही अकराधेय माल के प्रदाय में लगे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में “आवर्त” पद से आवर्त का वह मूल्य अभिप्रेत है जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84 और प्रविष्टि 92क और उक्त अनुसूची की सूची की प्रविष्टि 51 और प्रविष्टि 54 के अधीन उद्गृहीत किसी शुल्क या कर की रकम से घटाकर आता है।”

9. उक्त नियमों के नियम 40 के उपनियम (1) के खंड (ड.) में “प्ररूप जीएसटीआर-1” शब्दों, अक्षरों और अंक के पश्चात् “और प्ररूप जीएसटीआर-1क में, यदि कोई हो” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

10. उक्त नियम के नियम 48 के उपनियम (3) में “प्ररूप जीएसटीआर-1” शब्दों, अक्षरों और अंक के पश्चात् “या प्ररूप जीएसटीआर-1क में, यदि कोई हो” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

11. उक्त नियम के नियम 59 में,-

(i) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु उक्त व्यक्ति, कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में माल या सेवा या दोनों के जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के पश्चात् किंतु उक्त कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर 3ख में विवरणी फाइल करने से पूर्व अपने विकल्प पर, या तो प्रत्यक्षतः या सुविधा केन्द्र के माध्यम से जैसा आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए, सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से उक्त कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1क में माल या सेवाओं या दोनों से जावक प्रदायों के अतिरिक्त ब्यौरों का संशोधन कर सकेगा या प्रस्तुत कर सकेगा।”;

(ii) नियम 4 में, 01 अगस्त 2024 से प्रभावी, “ढाई लाख रुपये” शब्दों के स्थान पर जहां जहां वे आते हैं “एक लाख रुपये” शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(4क) प्ररूप जीएसटीआर-1क में प्रस्तुत माल या सेवाओं या दोनों के जावक प्रदायों के अतिरिक्त ब्यौरों या उनके ब्यौरों के संशोधनों में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की अपेक्षाओं के अनुसार,-

(क) निम्नलिखित के बीजक वार ब्यौरे सम्मिलित हो सकेंगे-

(i) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को अंतरराज्यिक और अंतरा-राज्यिक प्रदाय;

(ii) अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को किए गए एक लाख रुपये से अधिक बीजक मूल्य वाले अंतरराज्यिक प्रदाय

(ख) निम्नलिखित के समेकित ब्यौरे,-

(i) कर की प्रत्येक दर के लिए अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई अंतर-राज्यीय पूर्ति; और

(ii) कर की प्रत्येक दर के लिए अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को एक लाख रुपये तक के बीजक मूल्य के साथ राज्यवार अंतर-राज्यीय पूर्ति;

(ग) पूर्व में जारी किए गए बीजकों के लिए मास के दौरान जारी किए गए विकलन और प्रत्यय नोट, यदि कोई हों।”;

12. उक्त नियमों के नियम 60 में -

(i) उपनियम (1) में, “प्ररूप जीएसटीआर-1” शब्दों, अक्षरों और अंक के पश्चात् “या प्ररूप जीएसटीआर-1क” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपनियम (7) में, खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:-

“(iiक) पूर्व कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख के तुरंत पश्चात् के दिन से लेकर वर्तमान कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख के बीच प्ररूप जीएसटीआर-1क में उसके पूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्ति के विवरण में अतिरिक्त ब्यौरे या संशोधन;”;

13. उक्त नियमों के नियम 62 में, उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:-

“परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 से आगे के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 में विवरणी ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जून के तीसरे दिन तक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।।”;

14. उक्त नियमों के नियम 78 में, “प्ररूप जीएसटीआर-1” शब्दों, अक्षरों और अंक के पश्चात् “प्ररूप जीएसटीआर-1क में यथा संशोधित, यदि कोई हो” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

15. उक्त नियमों के नियम 88ख में, उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा;

“परंतु जहां कोई रकम धारा 49 की उपधारा (1) के उपबधों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक नकद खातों में उक्त विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख को या उससे पहले जमा की गई हो, लेकिन नियत तारीख के पश्चात् उक्त विवरणी दाखिल करते समय कर के संदाय के लिए उक्त खातों से विकलित कर दी जाती है, उक्त रकम को ऐसे व्याज की गणना करते समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा यदि उक्त रकम नियत तारीख से विवरणी दाखिल करने के समय उसके विकलन की तारीख तक उक्त खातों में पड़ी है।”;

16. उक्त नियमों के नियम 88ग के उपनियम (1) में, “प्ररूप जीएसटीआर-1” शब्दों, अक्षरों और अंक के पश्चात् “प्ररूप जीएसटीआर-1क में यथा संशोधित, यदि कोई हो” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

## 17. उक्त नियमों के नियम 89 में,—

(i) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(1ख) कोई भी व्यक्ति, निर्यात के पश्चात् माल की कीमत में उर्ध्व पुनरीक्षण के कारण संदत्त किए गए अतिरिक्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है, और जिस पर ऐसे माल के निर्यात के समय संदत्त किए गए एकीकृत कर का प्रतिदायनियम 96 के उपबधों के अनुसार पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, धारा 54 के स्पष्टीकरण (2) के खंड (क) के अनुसार सुसंगत तारीख से दो वर्ष के अवसान से पूर्व, नियम 10ख के उपबधों के अधीन रहते हुए, सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदत्त किए गए अतिरिक्त एकीकृत कर के ऐसी प्रतिदाय के लिए आवेदन दाखिल कर सकता है:

परंतु प्रतिदाय के लिए उक्त आवेदन, उन मामलों में जहां अधिनियम की धारा 54 के स्पष्टीकरण (2) के खंड (क) के अनुसार सुसंगत तारीख इस उप-नियम के लागू होने की तारीख से पहले थी, इस उप-नियम के लागू होने की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति से पहले दाखिल किया जा सकता है।”;

(ii) उपनियम (2) में, खंड (खक) के पश्चात् निम्नलिखित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(खख) निर्यात बीजकों की संख्या और तारीख के साथ ऐसे बीजकों की प्रति, शिपिंग बिलों या निर्यात बिलों की संख्या और तारीख के साथ ऐसे शिपिंग बिलों या निर्यात बिलों की प्रति, प्राधिकृत ब्यौहारी-1 बैंक द्वारा जारी ऐसे शिपिंग बिलों या निर्यात बिलों के संबंध में बैंक वसूली प्रमाणपत्र या विदेशी आवक प्रेषण प्रमाणपत्र की संख्या और तारीख के साथ ऐसे बैंक वसूली प्रमाणपत्र या विदेशी आवक प्रेषण प्रमाणपत्र की प्रति, नियम 96 के उप-नियम (3) के अधीन पहले से स्वीकृत किए गए प्रतिदाय का ब्यौरा, कीमतों में उर्ध्व पुनरीक्षण के पश्चात् जारी किए गए सुसंगत पूरक बीजकों या विकलन नोटों की संख्या और तारीख के साथ ऐसे पूरक बीजकों या विकलन नोटों की प्रति, एकीकृत कर की अतिरिक्त रकम और उस संदत्त ब्याज के संदाय के सबूत के साथ एकीकृत कर की ऐसी अतिरिक्त रकम के संदाय का ब्यौरा, जिसके संबंध में ऐसे प्रतिदाय का दावा किया गया है, अभ्यासरत चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखाकार द्वारा जारी इस प्रभाव के प्रमाणपत्र कि अतिरिक्त विदेशी मुद्रा प्रेषण निर्यात के पश्चात् माल की कीमत में इस तरह के उर्ध्व पुनरीक्षण के कारण है के साथ निर्यात की कीमत में उर्ध्व पुनरीक्षण के संबंध में प्राप्त उक्त अतिरिक्त विदेशी मुद्रा प्रेषण के संबंध में प्राधिकृत ब्यौहारी-1 बैंक द्वारा जारी विदेशी आवक प्रेषण प्रमाणपत्र की संख्या और तारीख के साथ ऐसे विदेशी आवक प्रेषण प्रमाणपत्र की प्रति, और निर्यातित माल की कीमत के पुनरीक्षण की आवश्यकता और उसके कीमत पुनरीक्षण को उपदर्शित करते हुए, यथा लागू, संविदा/अन्य दस्तावेजों की प्रति, ऐसे मामले में जहां प्रतिदाय निर्यात के पश्चात् ऐसे माल की कीमत में उर्ध्व पुनरीक्षण के कारण है;

(खग) उस दशा में जहां प्रतिदाय निर्यात के पश्चात् ऐसे माल की कीमत में उर्ध्व पुनरीक्षण के कारण होता है, बैंक वसूली प्रमाण पत्र या प्राधिकृत ब्यौहारी-1 बैंक द्वारा जारी विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण पत्र के सुसंगत विवरण के साथ जारी किए गए पूरक बीजक/विकलन नोट/प्रत्यय नोट में घोषित पूर्ति के मूल्य का समाधान करते हुए, सुलह विवर;”;

## 18. उक्त नियमों के नियम 95 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“95ख. कैंटीन स्टोर्स विभाग द्वारा प्राप्त माल की आवक पूर्ति पर चुकाए गए कर का प्रतिदाय: (1) नियम 95 में किसी बात के होते हुए भी, रक्षा मंत्रालय के अधीन कैंटीन भंडार विभाग, जो कैंटीन भंडार विभाग की यूनिट संचालित कैंटीनों को या धारा 55 के अधीन जारी अधिसूचना के अनुसार कैंटीन भंडार विभाग के प्राधिकृत

उपभोक्ताओं को ऐसे माल की पश्चात्पूर्ति में पूर्ति के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा प्राप्त माल की सभी आवक पूर्तियों पर उसके द्वारा संदत्त किए गए लागू केंद्रीय कर के पचास प्रतिशत की वापसी का दावा करने के लिए पात्र है, प्रत्येक तिमाही में एक बार सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी आरएफडी-10ए में वापसी के लिए आवेदन करेगा।

(2) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-10ए में दाखिल माल की आवक पूर्ति पर संदत्त किए गए कर की वापसी के लिए ऐसे आवेदन को नियम 89 के उपबधों के अनुसार प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में दाखिल किए गए प्रतिदाय के आवेदन के समरूप तरीके से निपटाया जाएगा।

(3) आवेदक द्वारा संदत्त किए गए कर की वापसी तभी उपलब्ध होगी जब-

(क) माल की आवक पूर्ति एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से कर बीजक के विरुद्ध प्राप्त की गई थी और ऐसी पूर्ति का ब्यौरा उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-1 में अपनी जावक पूर्ति के ब्यौरे में प्रस्तुत किया गया है और उक्त पूर्तिकर्ता ने संबंधित कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में अपनी विवरणी प्रस्तुत की है;

(ख) आवेदक का नाम तथा माल और सेवा कर पहचान संख्या कर बीजक में उल्लिखित है; और

(ग) कैटीन स्टोर्स विभाग द्वारा माल को कैटीन स्टोर्स विभाग की यूनिट संचालित कैटीनों या कैटीन स्टोर्स विभाग के प्राधिकृत उपभोक्ताओं को पश्चात्पूर्ति पूर्ति के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है।

19. उक्त नियमों के नियम 96 में,

(i) उपनियम (1) में,-

(क) खंड (ख) के परंतुक में, “प्ररूप जीएसटीआर-1” शब्दों, अक्षरों और अंक के पश्चात् “प्ररूप जीएसटीआर-1क में यथा संशोधित, यदि कोई हो” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (ग) के पश्चात् दीर्घ रेखा में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा; , अर्थात्:-

“परंतु माल का निर्यातक, ऐसे माल के निर्यात के पश्चात् माल की कीमत में उध्व पुनरीक्षण के कारण संदत्त किए गए अतिरिक्त एकीकृत कर के प्रतिदाय के लिए और जिस पर ऐसे माल के निर्यात के समय संदत्त किए गए एकीकृत कर की रकम पहले ही इस नियम के उप-नियम (3) के उपबधों के अनुसार वापस कर दी गई है, सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक आवेदन दाखिल कर सकता है, और ऐसे आवेदन को नियम 89 के उपबधों के अनुसार निपटाया जाएगा।”;

(ii) उपनियम (2) में, “प्ररूप जीएसटीआर-1” शब्दों, अक्षरों और अंक के पश्चात् “प्ररूप जीएसटीआर-1क में यथा संशोधित, यदि कोई हो” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

20. उक्त नियमों के नियम 96क में ,

(i) उपनियम (1) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(ख) निर्यात के लिए बीजक जारी करने की तारीख से, एक वर्ष की समाप्ति के पन्द्रह दिन पश्चात्, या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अधीन दी गई अवधि, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अनुज्ञात अवधि का कोई विस्तार भी सम्मिलित है, जो भी पश्चात्पूर्ति हो, या आयुक्त द्वारा अनुज्ञात की गई ऐसी अतिरिक्त अवधि, यदि जहां भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा



अनुमति दी गई हो, ऐसी सेवाओं का संदाय निर्यातक द्वारा परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा या भारतीय रुपए में प्राप्त नहीं किया जाता है।”;

(ii) उपनियम (2) में, “प्ररूप जीएसटीआर-1 में अंतर्विष्ट” शब्दों, अक्षरों और अंक के स्थान पर “प्ररूप जीएसटीआर-1, प्ररूप जीएसटीआर-1क में यथा संशोधित, यदि कोई हो, में अंतर्विष्ट” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

21. उक्त नियमों के नियम (110), के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

**“110 अपील अधिकरण को अपील.-** (1) धारा 112 की उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण में, अपील प्ररूप जीएसटी एपीएल-05 में सुसंगत दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल की जाएगी और अपीलार्थी को तुरंत अनंतिम पावती जारी की जाएगी :

परंतु अपील अधिकरण में अपील, सुसंगत दस्तावेजों के साथ, प्ररूप जीएसटी एपीएल-05 में निर्देशिका रूप से तभी दाखिल की जा सकेगी, जब रजिस्ट्रार उक्त आदेश में निर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, उस प्रभाव के लिए एक विशेष या साधारण आदेश जारी करके अनुज्ञात, और ऐसे मामले में, अपीलार्थी को तत्काल एक अनंतिम पावती जारी की जाएगी।

(2) धारा 112 की उपधारा (5) के अधीन अपील अधिकरण में प्रति-आपत्ति का ज्ञापन, यदि कोई हो, प्ररूप जीएसटी एपीएल-06 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किया जाएगा:

परंतु प्रति-आपत्ति का ज्ञापन प्ररूप जीएसटी एपीएल-06 में निर्देशिका रूप से तभी दाखिल किया जा सकेगा, जब रजिस्ट्रार उक्त आदेश में निर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, उस संबंध में विशेष या साधारण आदेश जारी करके अनुज्ञात करे।

(3) अपील और प्रति आपत्तियों के ज्ञापन पर नियम 26 में विनिर्दिष्ट रीति से हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(4) जहां वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया गया है, वहां त्रुटियों, यदि कोई हों, को दूर करने पर प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में अंतिम पावती, अपील संख्या दर्शाते हुए जारी की जाएगी और अनंतिम पावती जारी करने की तारीख को उप-नियम (1) के अधीन अपील दाखिल करने की तारीख माना जाएगा:

परंतु जहां वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, सामान्य पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है, वहां अपीलार्थी, यथास्थिति, प्ररूप जीएसटी एपीएल-05 दाखिल करने की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर उक्त आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत या अपलोड करेगा और त्रुटियों, यदि कोई हों, के दूर किए जाने पर अपील संख्या दर्शाते हुए अंतिम पावती प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में जारी की जाएगी और अनंतिम पावती जारी करने की तारीख को अपील दाखिल करने की तारीख माना जाएगा:

परंतु जहां आदेश की उक्त स्व-प्रमाणित प्रति, प्ररूप जीएसटी एपीएल-05 दाखिल करने की तारीख से सात दिन की अवधि के पश्चात प्रस्तुत या अपलोड की जाती है, वहां त्रुटियों, यदि कोई हों, को दूर करने पर अपील संख्या दर्शाते हुए अंतिम पावती प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में जारी की जाएगी और ऐसी स्व-प्रमाणित प्रति को प्रस्तुत या अपलोड करने की तारीख को अपील दाखिल करने की तारीख माना जाएगा।

**स्पष्टीकरण.-** इस नियम के प्रयोजनों के लिए, अपील तभी दाखिल मानी जाएगी जब अपील संख्या दर्शाते हुए अंतिम पावती जारी कर दी जाए।

(5) अपील दाखिल करने या अपील प्रत्यास्थापित करने के लिए फीस प्रत्येक एक लाख रुपए के कर या निवेश कर प्रत्यय या कर या निवेश कर प्रत्यय में अंतर या उस आदेश में अवधारित जुर्माना, फीस या शास्ति की रकम के लिए

एक हजार रुपए होगी, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, जो अधिकतम पच्चीस हजार रुपए और न्यूनतम पांच हजार रुपए तक होगी:

परंतु किसी आदेश के संबंध में अपील दाखिल करने के लिए फीस, जिसमें कर, ब्याज, जुर्माना, फीस या शास्ति की कोई मांग सम्मिलित नहीं है, पांच हजार रुपये होगी।”;

(6) धारा 112 की उपधारा (10) में निर्दिष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए अपील अधिकरण के समक्ष किए गए आवेदन के लिए कोई फीस नहीं होगी।

## 22. उक्त नियमों के नियम 111, के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

“111 अपील अधिकरण को आवेदन.—(1) धारा 112 की उपधारा (3) के अधीन अपील अधिकरण को आवेदन प्ररूप जीएसटी एपीएल-07 में, संबंधित दस्तावेजों के साथ, इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किया जाएगा और अपीलार्थी को तत्काल एक अनंतिम पावती जारी की जाएगी:

परंतु अपील प्राधिकारी को आवेदन, सुसंगत दस्तावेजों के साथ, प्ररूप जीएसटी एपीएल-07 में निर्देशिका रूप से तभी दाखिल किया जा सकेगा, जब रजिस्ट्रार उक्त आदेश में निर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, उस प्रभाव के लिए एक विशेष या साधारण आदेश जारी करके अनुज्ञात करे, और ऐसे मामले में, अपीलार्थी को तुरंत एक अनंतिम पावती जारी की जाएगी;

(2) धारा 112 की उपधारा (5) के अधीन अपील अधिकरण को प्रति-आपत्तियों का ज्ञापन, यदि कोई हो, प्ररूप जीएसटी एपीएल-06 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किया जाएगा:

परंतु प्रति-आपत्ति का ज्ञापन प्ररूप जीएसटी एपीएल-06 में निर्देशिका रूप से तभी दाखिल किया जा सकेगा, जब रजिस्ट्रार उक्त आदेश में निर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, उस आशय का विशेष या सामान्य आदेश जारी करके इसकी अनुमति दे।

(3) अपील और प्रति आपत्तियों के ज्ञापन पर नियम 26 में विनिर्दिष्ट तरीके से हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(4) जहां वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया गया है, वहां त्रुटियों, यदि कोई हों, को दूर करने के संबंध में प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में अंतिम पावती, अपील संख्या दर्शाते हुए जारी की जाएगी और अनंतिम पावती जारी करने की तारीख को उप-नियम (1) के अधीन अपील दाखिल करने की तारीख माना जाएगा:

परंतु जहां वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, सामान्य पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है, वहां अपीलार्थी, यथास्थिति, प्ररूप जीएसटी एपीएल-07 दाखिल करने की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर उक्त आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत या अपलोड करेगा तथा त्रुटियों, यदि कोई हों, के दूर किए जाने पर अपील संख्या दर्शाते हुए अंतिम पावती प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में जारी की जाएगी तथा अनंतिम पावती जारी करने की तारीख को अपील दाखिल करने की तारीख माना जाएगा:

परंतु जहां आदेश की उक्त स्व-प्रमाणित प्रति, प्ररूप जीएसटी एपीएल-07 दाखिल करने की तारीख से सात दिन की अवधि के पश्चात प्रस्तुत या अपलोड की जाती है, वहां त्रुटियों, यदि कोई हों, को दूर करने पर अपील संख्या दर्शाते हुए अंतिम पावती प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 में जारी की जाएगी और ऐसी स्व-प्रमाणित प्रति को प्रस्तुत या अपलोड करने की तारीख को अपील दाखिल करने की तारीख माना जाएगा।

**स्पष्टीकरण 1.—** इस नियम के प्रयोजनों के लिए, अपील तभी दाखिल मानी जाएगी जब अपील संख्या दर्शाते हुए अंतिम पावती जारी कर दी जाए।

**स्पष्टीकरण 2.—** नियम 110 और 111 के प्रयोजनों के लिए, 'रजिस्ट्रार' से इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा

नियुक्त रजिस्ट्रार अभिप्रेत है और इसमें संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार सम्मिलित होंगे।”;

23. उक्त नियमों के नियम 113, के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

“113क. अपील या अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की गई अपील को वापस लेना :- प्ररूप जीएसटी एपीएल-05 में फाइल की गई किसी अपील या जीएसटी एपीएल-07 में फाइल किए गए किसी आवेदन के संबंध में धारा 113 की उपधारा (1) के अधीन आदेश जारी होने से पूर्व किसी भी समय आवेदक, यथास्थिति, उक्त अपील या आवेदन को वापस लेने के लिए जीएसटी एपीएल-05/07 डब्ल्यू प्ररूप में आवेदन फाइल कर सकेगा :

परंतु जब जीएसटी एपीएल-02 में अंतिम अभिस्वीकृति जारी कर दी गई है तो, यथास्थिति, उक्त अपील या आवेदन को वापस लेना अपील अधिकरण के अनुमोदन के अधीन होगा और अपील या आवेदन को वापस लेने के लिए ऐसे आवेदन का विनिश्चय, अपील अधिकरण द्वारा ऐसा आवेदन फाइल करने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर किया जाएगा :

परंतु यह और कि अपीलार्थी द्वारा ऐसे वापस लेने के अनुसरण में, यथास्थिति, फाइल की गई नई अपील या आवेदन धारा 112 की, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर किया जाएगा।”;

24. उक्त नियमों के नियम 138 के उपनियम (3) में, अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु उपनियम (1) के चौथे परंतुक के अर्थात्गत अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिससे प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 में ई-वे बीजक सृजित करना अपेक्षित है या सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 में ई-वे बीजक सृजित करने की अपेक्षा का विकल्प लेने वाला अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईएनआर-03 में या तो प्रत्यक्षतः या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुकर केन्द्र के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी रूप में ब्यौरो प्रस्तुत करेगा और इस प्रकार प्रस्तुत किए गए ब्यौरों के विधिमान्यकरण पर एक विशिष्ट नामांकन संख्या सृजित की जाएगी और उक्त व्यक्ति को संसूचित की जाएगी।”;

25. उक्त नियमों में, नियम 142 में :-

(i) उपनियम (2) में “वह समुचित अधिकारी को ऐसे संदाय के संबंध में प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में सूचित करेगा और समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा संदाय को स्वीकार करते हुए प्ररूप जीएसटी डीआरसी-04 में अभिस्वीकृति जारी करेगा” शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, “वह समुचित अधिकारी को ऐसे संदाय के संबंध में प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में सूचित करेगा और सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिकी रूप में ऐसे व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी डीआरसी-04 अभिस्वीकृति उपलब्ध कराई जाएगी” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) उपनियम (2क) में “प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क” शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात्, “और तत्पश्चात् समुचित अधिकारी उक्त व्यक्ति द्वारा किए गए, यथास्थिति, संदाय या दलीलों या दोनों को स्वीकार करते हुए प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के भाग (ग) में संसूचना जारी कर सकेगा” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) उपनियम (2क) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(2ख) जब किसी व्यक्ति द्वारा धारा 52 या धारा 73 या धारा 74 या धारा 76 या धारा 122 या धारा 123 या धारा 124 या धारा 125 या धारा 127 या धारा 129 या धारा 130 के अधीन कर, ब्याज, शास्ति या कोई अन्य संदेय रकम को उक्त व्यक्ति द्वारा उपनियम (2) के अधीन प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में संसूचना द्वारा संदत्त किया जाता है तो उक्त मांग के लिए सृजित नामे प्रविष्टि के विरुद्ध इलैक्ट्रानिकी दायित्व रजिस्टर में प्ररूप जीएसटी पीएमटी-01 में उक्त रकम का प्रत्यय करने के स्थान पर उक्त व्यक्ति सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिकी रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03क में एक आवेदन कर सकेगा और इस प्रकार संदत्त और प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के

माध्यम से संसूचित रकम का उक्त मांग के लिए सृजित नामे प्रविष्टि के सामने प्ररूप जीएसटी पीएमटी-01 में इलैक्ट्रानिकी दायित्व रजिस्टर में प्रत्यय किया जाएगा मानो उक्त संदाय प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से ऐसी संसूचना की तारीख को उक्त मांग के लिए संदाय किया गया था :

परंतु जहां कोई आदेश प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में किसी रकम के संदाय के संबंध में कार्यवाहियों को समाप्त करते हुए उपनियम (3) के अर्थातगत प्ररूप जीएसटी डीआरसी-05 में कोई आदेश जारी किया जाता है तो प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03क में कोई आवेदन उक्त व्यक्ति द्वारा उक्त संदाय की बाबत फाइल नहीं किया जाता सकता है।”;

26. उक्त नियमों के नियम 163 के उपनियम (1) के खंड (ग) में “प्ररूप जीएसटीआर-1” शब्द, अक्षर और अंक के पश्चात् “यथासंशोधित प्ररूप जीएसटीआर-1क, यदि कोई हों”, शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

27. उक्त नियमों में, अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, प्ररूप **जीएसटी ईएनआर-02** के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

### “प्ररूप जीएसटी ईएनआर-03

[नियम 138(3) देखें]

नामांकन के लिए आवेदन

[केवल अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए]

1. राज्य का नाम
2. (क) पैन के अनुसार नाम  
(ख) व्यापार नाम, यदि कोई हों  
(ग) पैन  
(घ) आधार, यदि लागू हो (वैकल्पिक)
3. नामांकन का प्रकार  
(i) माल का अरजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार                      (ii) माल का अरजिस्ट्रीकृत प्राप्तकर्ता  
(iii) दोनों (i) और (ii)
4. संपर्क सूचना (ईमेल पते और मोबाइल नंबर का उपयोग अधिप्रमाणन के लिए किया जाएगा)  
ईमेल  
मोबाइल नंबर
5. सहमति  
मैं, आधार नंबर धारक <प्ररूप में उपलब्ध कराए गए आधार नंबर के आधार पर पहले से ही भरा हुआ> “माल और सेवाकर नेटवर्क” को यूआईडीएआई से अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए मेरे ब्यौरे अभिप्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूं।
6. अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची
7. सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थान: हस्ताक्षर

तारीख:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

कार्यालय उपयोग के लिए:

नामांकन संख्या

तारीख-“; ”;

28. उक्त नियमों में, 01 अगस्त 2024 से प्रभावी, प्ररूप जीएसटीआर-1 में,—

- (i) क्रम संख्या 5 में, शीर्ष में, "2.5 लाख रुपये" अंकों और शब्दों के स्थान पर "1 लाख रुपये" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) क्रम संख्या 7 में, सारणी में, क्रम संख्या 7 ख में शीर्ष में, "2.5 लाख रुपये" अंक और शब्द के स्थान पर, "1 लाख रुपये" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;
- (iii) क्रम संख्या ख में सारणी विशिष्ट अनुदेशों में, सारणी में, क्रम संख्या 3 के सामने, तीसरे स्तंभ में, "2.5 लाख रुपये" अंको और शब्दों के स्थान पर, "1 लाख रुपये" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

29. उक्त नियमों में प्ररूप जीएसटीआर-1 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप जीएसटीआर-1

[नियम 59(1) का परंतुक देखें]

वर्तमान कर अवधि के लिए माल या सेवाओं की जावक आपूर्ति में संशोधन

[वित्तीय वर्ष]				
[कर अवधि]				

1.		जीएसटीआईएन																
2.	(क)	पंजीकृत व्यक्ति का विधिक नाम																

	(ख)	व्यापार नाम, यदि कोई हो	
3.	(क)	एआरएन	<स्वतः>
	(ख)	एआरएन की तारीख	<स्वतः>

4. सारणी 6 के अधीन आने वाली पूर्तियों से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों (इसके अंतर्गत यूआईएन धारक है) को की गई कराधेय जावक पूर्तियां

(सभी सारणियों के लिए रुपए में रकम)

जीएसटी आईएन/ यूआईएन	बीजक ब्यौरे			दर	कराधेय मूल्य	रकम				पूर्ति का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम)
	सं.	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4क. अन्य से भिन्न पूर्तियां) जो विलोम प्रभार आकृष्ट करती है, (जिसके अंतर्गत ई-कामर्स प्रचालक के माध्यम से की गई टीसीएस आकृष्ट करने वाली पूर्तियां सम्मिलित है)]										
4ख. विलोम प्रभार आधार पर कर आकृष्ट करने वाली पूर्तियां										

5. जहां बीजक मूल्य एक लाख रुपए से अधिक है, अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को कराधेय जावक अंतरराज्यीय पूर्तियां

पूर्ति का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)	बीजक के ब्यौरे			दर	कराधेय मूल्य	रकम	
	सं.	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8
5. जावक पूर्तियां (जिसके अंतर्गत ई-कामर्स प्रचालक के माध्यम से की गई पूर्तियां दर वार सम्मिलित है)							

**6. ऐसी पूर्तियां जिनको शून्य दर प्रदान की गई है और समझे गए निर्यात**

प्राप्तिकर्ता का जीएसटी आईएन	बीजक व्यौरे			मालभाड़ा बिल/निर्यात का बिल		एकीकृत कर			केन्द्रीय कर			राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर			उपकर
	सं.	तारीख	मूल्य	सं.	तारीख	दर	कराधेय मूल्य	रकम	दर	कराधेय मूल्य	रकम	दर	कराधेय मूल्य	रकम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6क. निर्यात															
6ख. एसईजेड इकाई या एसईजेड विकासकर्ता को की गई आपूर्ति															
6ग. समझे गए निर्यात															

**7. कराधेय पूर्तियां (सारणी 5 में शामिल पूर्तियों से भिन्न अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को कराधेय आपूर्ति नामे नोट्स और प्रत्यय नोट्स को छोड़ कर)**

कर दर	कुल कराधेय मूल्य	रकम			
		एकीकृत	केन्द्रीय	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6
7क. अंतरराज्यीय पूर्तियां					
समेकित दरवार जावक पूर्तियां (जिसके अंतर्गत ई-कामर्स प्रचालक के माध्यम से की गई टीसीएस आकृष्ट करने वाली पूर्तियां सम्मिलित है)					
7ख. ऐसी अंतरराज्यीय पूर्तियां जहां बीजक मूल्य एक लाख रुपए तक है, [दर वार]-समेकित दर वार जावक पूर्तियां [जिसके अंतर्गत ई-कामर्स प्रचालक के माध्यम से की गई टीसीएस आकृष्ट करने वाली पूर्तियां सम्मिलित है]					
पूर्ति का स्थान (राज्य का नाम)					

**8. जिन्हें शून्य दर प्रदान की गई है, जिन्हें छूट प्रदान की गई है और गैर-जीएसटी जावक पूर्तियां**

विवरण	शून्य दर प्रदान की गई पूर्तियां	छूट प्राप्त (शून्य दर प्रदान की गई/गैर जीएसटी पूर्तियों से भिन्न)	गैर-जीएसटी पूर्तियां
1	2	3	4
8क. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को अंतरराज्यीय पूर्तियां			

8ख. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को अंतः राज्यीय पूर्तियां			
8ग. अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को अंतरराज्यीय पूर्तियां			
8घ. अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को अंतः राज्यीय पूर्तियां			

9. सारणी 4, सारणी 5 और सारणी 6 में वर्तमान कर अवधियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत की गई कराधेय जावक पूर्ति के संशोधन [जिसके अंतर्गत वर्तमान अवधि के दौरान जारी किए गए नामे और प्रत्यय नोट तथा उनके संशोधनों सहित]

मूल दस्तावेज के ब्यौरे			दस्तावेज के पुनरीक्षित ब्यौरे या मूल नामे या प्रत्यय टिप्पणों के ब्यौरे				दर	कराधेय मूल्य	रकम					
जी एस टीआई एन	दस्तावेज सं.	दस्तावेज की तारीख	जी एसटी आई एन	दस्तावेज सं.	दस्तावेज तारीख	शिपिंग बिल सं.	शिपिंग बिल तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9क. प्रस्तुत किए गए बीजक/शिपिंग बिल के ब्यौरों का संशोधन														
9ख. नाम नोट/प्रत्यय नोट [मूल]														
9ग. नामे/प्रत्यय नोट [संशोधित]														

10. सारणी 7 में वर्तमान कर अवधियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को कराधेय जावक पूर्तियों का संशोधन

कर दर	कुल कराधेय मूल्य	रकम			
		एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6
कर अवधि, जिसके लिए ब्यौरों को पुनरीक्षित किया जा रहा है		वर्तमान कर अवधि को यहां पर स्वतः भरा जाना चाहिए)			
10क. अंतः राज्यीय पूर्तियां [जिसके अंतर्गत ई-कामर्स प्रचालक के माध्यम से टीसीएस आकृष्ट करने वाली पूर्तियां सम्मिलित है ] [दर वार]					
10ख. अंतरराज्यीय पूर्तियां [जिसके अंतर्गत ई-कामर्स प्रचालक के माध्यम से टीसीएस आकृष्ट करने वाली पूर्तियां सम्मिलित है ] [दर वार]					
पूर्ति का स्थान (राज्य का नाम)					





## 12. जावक पूर्तियों का एचएसएन वार सारांश

क्रम सं.	एचएसएन	विवरण	यू क्यू सी	कुल मात्रा	कर दर	कुल कराधेय मूल्य	रकम			
							एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## 13. कर अवधि के दौरान जारी दस्तावेज

क्रम सं.	दस्तावेज की प्रकृति	क्रम सम.		कुल संख्या	रद्द किए गए	कुल जारी
		से	तक			
1	2	3	4	5	6	7
1	जावक पूर्ति के लिए बीजक					
2	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से आवक पूर्ति के लिए बीजक					
3	पुनरीक्षित बीजक					
4	नामे वोट					
5	प्रत्यय नोट					
6	प्राप्त वाउचर					
7	संदाय वाउचर					
8	प्रतिदाय वाउचर					
9	जोब वर्क के लिए डिलीवरी चालान					
10	अनुमोदन पर पूर्ति के लिए डिलीवरी चालान					
11	तरल गैस की दशा में डिलीवरी चालान					
12	पूर्ति के माध्यम से भिन्न मामलों में डिलीवरी चालान (क्रम सं. 9 से क्रम सं. 11 को छोड़कर)					





											त कर	न्द्री य कर	ज्य / सं घ रा ज्य क्षे त्र कर	प क र	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
रजिस्ट्रीकृत															
अरजिस्ट्रीकृत															

15क (II). ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से किए गए प्रदाय के विवरण में संशोधन, जिन पर ई-कॉमर्स ऑपरेटर धारा 9(5) के अधीन कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है [अरजिस्ट्रीकृत प्राप्तकर्ताओं के लिए, ई-कॉमर्स ऑपरेटर को रिपोर्ट करना है]

प्रदायकर्ता का प्रकार	मूल विवरण		संशोधित विवरण	दर	की गई प्रदायों का मूल्य	कर की रकम				प्रदाय का स्थान
	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	कर अवधि				प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
रजिस्ट्रीकृत										
अरजिस्ट्रीकृत										

जीएसटीआर-1क भरने के लिए अनुदेश :

- यह वर्तमान कर अवधि के प्ररूप जीएसटीआर-1 में रिपोर्टिंग में छूटे हुए वर्तमान कर अवधि के किसी भी विवरण को जोड़ने या वर्तमान कर अवधि के प्ररूप जीएसटीआर-1 में पहले से घोषित किसी भी विवरण को संशोधित करने के लिए प्रदान की गई एक अतिरिक्त सुविधा है (जिसमें तिमाही करदाताओं के लिए, तिमाही के पहले और दूसरे मास के लिए, आईएफएफ में घोषित किए गए विवरण, यदि कोई हों, भी सम्मिलित हैं) यह प्ररूप विलम्ब शुल्क के बिना एक वैकल्पिक प्ररूप है।

2. यह प्ररूप पोर्टल पर प्ररूप जीएसटीआर-1 फाइल करने की नियत तारीख या प्ररूप जीएसटीआर-1 फाइल करने की वास्तविक तारीख, जो भी पश्चात्पूर्ती हो, के पश्चात् उसी कर अवधि के संबंधित प्ररूप जीएसटीआर-3ख फाइल करने तक उपलब्ध रहेगा। इसी तरह, तिमाही करदाताओं के लिए, प्ररूप जीएसटीआर-1क प्ररूप जीएसटीआर-1 (तिमाही) फाइल करने के बाद तिमाही रूप से या प्ररूप जीएसटीआर-1 (तिमाही) फाइल करने की नियत तारीख, जो भी पश्चात्पूर्ती हो, के पश्चात् उसी कर अवधि के प्ररूप जीएसटीआर-3ख फाइल करने तक खोला जाएगा।
3. प्ररूप जीएसटीआर-1क में घोषित विवरण प्ररूप जीएसटीआर-1 में घोषित विवरण के साथ प्ररूप जीएसटीआर-3ख में उपलब्ध कराए जाएंगे। तिमाही रिटर्न फाइल करने का विकल्प चुनने वाले करदाताओं के मामले में इसे प्ररूप जीएसटीआर-3ख (तिमाही) में प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत विवरण और एम1 मास और एम2 मास के आईएफएफ (यदि फाइल किया गया है) के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।
4. ऐसे दस्तावेज़ में संशोधन, जो प्राप्तकर्ता के जीएसटीआईएन में परिवर्तन से संबंधित है, उसे जीएसटीआर-1क में अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. पहले से सृजित किए गए जीएसटीआर-2ख के अतिरिक्त, जीएसटीआर-2ख में संबंधित प्रदायकर्ताओं द्वारा जीएसटीआर-1क में घोषित सभी प्रदाय भी शामिल होंगे। तथापि, प्ररूप जीएसटीआर-1क में घोषित या संशोधित प्रदाय अगले खुले प्ररूप जीएसटीआर-2ख में उपलब्ध कराई जाएँगी। उदाहरण के लिए,--

(i) एक प्रदायकर्ता जनवरी 2023 के मास में दो चालान आईएनवी1 और आईएनवी2 जारी करता है। फिर उसने 8 फरवरी 2023 को प्ररूप जीएसटीआर-1 में चालान आईएनवी1 का विवरण प्रस्तुत किया। तथापि, वह एक चालान आईएनवी2 को छोड़ देता है और 15 फरवरी 2023 को प्ररूप जीएसटीआर-1क में इसका विवरण प्रस्तुत करता है। इस मामले में, आईएनवी1 14 फरवरी 2023 को उपलब्ध कराए गए जनवरी मास के लिए प्राप्तकर्ता के प्ररूप जीएसटीआर-2ख में जाएगा। इसके अतिरिक्त, आईएनवी2 14 मार्च 2023 को उपलब्ध कराए गए फरवरी मास के लिए प्राप्तकर्ता के प्ररूप जीएसटीआर-2ख में उपलब्ध कराया जाएगा।

(ii) एक प्रदायकर्ता जनवरी 2023 के मास में दो चालान आईएनवी3 और आईएनवी4 जारी करता है। फिर उसने 15 फरवरी 2023 को प्ररूप जीएसटीआर -1 में चालान आईएनवी3 का विवरण प्रस्तुत किया। तथापि, उन्होंने 16 फरवरी 2023 को प्ररूप जीएसटीआर-1क में आईएनवी 4 घोषित किया। इस मामले में, आईएनवी 3 और आईएनवी 4 दोनों को प्राप्तकर्ता के फरवरी मास के प्ररूप जीएसटीआर-2ख में 14 मार्च 2023 को उपलब्ध कराया जाएगा।

6. विनिर्दिष्ट सारणियों के लिए अनुदेश :-

सारणी सं.	अनुदेश
4क, 4ख, 5, 6, 9ख (रजिस्ट्रीकृत प्राप्तकर्ताओं के लिए)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• करदाता वर्तमान कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में पहले से घोषित किए गए बीजकों/दस्तावेजों के विवरणों के अलावा अतिरिक्त विवरण घोषित कर सकते हैं।</li> </ul>

7	<ul style="list-style-type: none"> <li>करदाता वर्तमान कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में पहले से घोषित किए गए बीजकों/दस्तावेजों के विवरणों के अलावा अतिरिक्त विवरण घोषित कर सकते हैं।</li> <li>यदि दरों के किसी भी संयोजन के साथ पीओएस को पहले ही प्ररूप जीएसटीआर-1 में घोषित किया जा चुका है, तो सारणी 7 के माध्यम से एक नई दर नहीं जोड़ी जा सकती है और करदाता को इसके लिए सारणी 10 में संशोधन सुविधा का उपयोग करना होगा।</li> </ul>
8.	<ul style="list-style-type: none"> <li>करदाता शून्य दर, छूट-प्राप्त और गैर-जीएसटी प्रदायों के, वर्तमान कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में पहले से घोषित किए गए विवरणों के, अतिरिक्त विवरण घोषित कर सकते हैं।</li> </ul>
9क और 9ग	<ul style="list-style-type: none"> <li>तिमाही के पहले और दूसरे मास के लिए, आईएफएफ में सारणी 4क, 4ख, 5, 6क, 6ख, 6ग और 9ख में, यदि कोई हो, और वर्तमान कर अवधि के प्ररूप जीएसटीआर-1 में रिपोर्ट किए गए मूल्यों में संशोधन।</li> </ul>
12	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्ररूप जीएसटीआर-1 में रिपोर्ट किए गए अतिरिक्त/संशोधन विवरण के अनुसार एचएसएन विवरण यहाँ घोषित किए जाएँगे। किसी भी निम्नगामी संशोधन की दशा में, अंतर भाग के लिए माइनस चिह्न के साथ प्रविष्टि की जा सकती है।</li> </ul>
11क(1) और 11क(2), 11ख(1) और 11ख(2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>करदाता प्ररूप जीएसटीआर-1 में वर्तमान कर अवधि के लिए पहले से घोषित प्राप्त या समायोजित अग्रिम रकम के विवरण के अतिरिक्त विवरण घोषित कर सकते हैं।</li> <li>यदि दर के किसी भी संयोजन के साथ कोई पीओएस पहले से ही प्ररूप जीएसटीआर-1 में घोषित किया गया है, तो इन सारणियों के माध्यम से एक नई दर नहीं जोड़ी जा सकती है और करदाता को, यथास्थिति, संशोधन सारणी 11 (II) का उपयोग करना होगा।</li> </ul>
14	<ul style="list-style-type: none"> <li>करदाता वर्तमान कर अवधि के लिए ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से किए गए प्रदाय का अतिरिक्त विवरण घोषित कर सकते हैं।</li> </ul>
15	<ul style="list-style-type: none"> <li>इको करदाता वर्तमान कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में अरजिस्ट्रीकृत प्राप्तिकर्ताओं के लिए प्रदायों (दरवार-) के पहले से ही घोषित विवरण के सिवाय, अतिरिक्त विवरण घोषित कर सकते हैं।</li> </ul>
10, 11(II), 14क, 15क(I), 15क(II)3	<ul style="list-style-type: none"> <li>करदाता वर्तमान अवधि के प्ररूप जीएसटीआर-1 में पहले से घोषित विवरण में संशोधन कर सकते हैं।”।</li> </ul>

30. उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर-2क में,—

(i) “(जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 5, जीएसटीआर-6, जीएसटीआर-7, जीएसटीआर-8, माल का आयात और एसईजेड एकाइयों/डेवलपरो द्वारा निर्मित माल के आयात से)”, कोष्ठकों, अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर,

“(जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1क, जीएसटीआर 5, जीएसटीआर-6, जीएसटीआर-7, जीएसटीआर-8, एसईजेड इकाइयों/डेवलपरो से प्राप्त माल का आयात और माल की आवक प्रदाय)” कोष्ठक, अक्षर, अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ii) भाग क में, -

(क) “जीएसटीआर-1/5 की अवधि” अक्षरों, अंकों और शब्द के स्थान पर, जहां वे आते हैं “जीएसटीआर-1/1क/5 की अवधि” अक्षर, अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) “जीएसटीआर-1/5 भरने की तारीख” अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर, जहां वे आते हैं “जीएसटीआर-1/1क/5 भरने की तारीख” अक्षर, अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(iii) शीर्षक अनुदेशों के अधीन, -

(क) पैरा 2 में, “प्ररूप जीएसटीआर-1, 5, 6, 7 और 8” शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, “प्ररूप जीएसटीआर-1, 1क, 5, 6, 7 और 8” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(ख) पैरा 4 की सारणी में, -

(क) क्रम संख्यांक 3 के सामने, दूसरे स्तंभ में,--

(I) क्रम संख्यांक (i) में, “प्ररूप जीएसटीआर-1 और 5” शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, “प्ररूप जीएसटीआर-1, 1क और 5” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(II) क्रम संख्यांक (iii) में, “प्ररूप जीएसटीआर-1/5” शब्द, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, “प्ररूप जीएसटीआर-1/1क और 5” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(III) क्रम संख्यांक (iv) में, “प्ररूप जीएसटीआर-1” शब्द, अक्षरों और अंक के स्थान पर, “प्ररूप जीएसटीआर-1/1क” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(ख) क्रम संख्यांक 4 के सामने, दूसरे स्तंभ में, क्रम संख्यांक (i) में, “प्ररूप जीएसटीआर-1 और 5” शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, “प्ररूप जीएसटीआर-1, 1क और 5” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(ग) क्रम संख्यांक 5 के सामने, दूसरे स्तंभ में,--

(I) क्रम संख्यांक (i) में, “प्ररूप जीएसटीआर-1 और 5” शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, “प्ररूप जीएसटीआर-1, 1क और 5” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(II) क्रम संख्यांक (v) में,—

(1) “प्ररूप जीएसटीआर-1/5”, शब्द, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, “प्ररूप जीएसटीआर-1/1क और 5” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;



(2) “प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत किए जाने” शब्दों, अक्षरों और अंक के स्थान पर, “प्ररूप जीएसटीआर-1/1क प्रस्तुत किए जाने” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(घ) क्रम संख्यांक 6 के सामने, दूसरे स्तंभ में, क्रम संख्यांक (i) में, “प्ररूप जीएसटीआर-1 और 5” शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, “प्ररूप जीएसटीआर-1, 1क और 5” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

31. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-2ख के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

**“प्ररूप जीएसटीआर-2ख**

**[नियम 60(7) देखें]**

**स्वतः प्रारूपित किया गया आईटीसी विवरण**

(ई-कॉमर्स पूर्ति, जीएसटीआर-1 क, जीएसटीआर -5, जीएसटीआर-6 और आईसीईजीएटीई से प्राप्त आयात डेटा सहित प्ररूप जीएसटीआर-1/आईएफएफ से)

वित्तीय वर्ष	
माह	

1. जीएसटीआईएन	
2(क).पंजीकृत व्यक्ति का विधिक नाम	
2(ख).व्यापार नाम, यदि कोई हो	
2(ग). उत्पादन की तारीख	

**3. आईटीसी उपलब्ध सारांश**

(सभी सारणियों के लिए रकम ₹ में)

क्र.सं.	शीर्षक	जीएसटीआर-3ख सारणी	एकीकृत कर (₹)	केंद्रीय कर (₹)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर (₹)	उपकर (₹)	सलाहकार
प्ररूप जीएसटीआर-3ख के अधीन प्राप्त किया जा सकने वाला प्रत्यय							
भाग क	उपलब्ध आईटीसी - जीएसटीआर-3ख में सुसंगत शीर्षकों में प्रत्यय का दावा किया जा सकता है						

क्र.सं.	शीर्षक	जीएसटीआर-3ख सारणी	एकीकृत कर (₹)	केंद्रीय कर (₹)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर (₹)	उपकर (₹)	सलाहकार
1	रिवर्स चार्ज के अतिरिक्त पंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी अन्य आईटीसी पूर्तियाँ	4(क) (5)					प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(5) के अंतर्गत शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उठाया जा सकता है।
विवरण	ख2ख - बीजक						
	ख2ख-विकलन टिप्पण						
	ईसीओ- दस्तावेज						
	ख2ख-बीजक संशोधन)						
	ख2ख-विकलन टिप्पण (संशोधन)						
	ईसीओ- दस्तावेज (संशोधन)						
2	आईएसडी से आवक पूर्ति	4(क)(4)					प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(4) के अधीन शुद्ध इनपुट टैक्स प्रत्यय का लाभ उठाया जा सकता है।
विवरण	आईएसडी – बीजक						
	आईएसडी-बीजक (संशोधन)						

क्र.सं.	शीर्षक	जीएसटीआर-3ख सारणी	एकीकृत कर (₹)	केंद्रीय कर (₹)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर (₹)	उपकर (₹)	सलाहकार
3	आवक आपूर्ति पर रिवर्स चार्ज लागू होगा	3.1(घ) 4(क)(3)					कर भुगतान के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1(घ) में इन पूर्तियों को घोषित किया जाएगा। कर भुगतान पर प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(3) के अधीन शुद्ध इनपुट टैक्स प्रत्यय का लाभ उठाया जा सकता है।
विवरण	ख2ख - बीजक						
	ख2ख - विकलन नोट्स						
	ख2ख-बीजक (संशोधन)						
	ख2ख - विकलन नोट्स (संशोधन)						
4	माल का आयात	4(क)(1)					प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(1) के अधीन शुद्ध इनपुट टैक्स प्रत्यय का लाभ उठाया जा सकता है।

क्र.सं.	शीर्षक	जीएसटीआर-3ख सारणी	एकीकृत कर (₹)	केंद्रीय कर (₹)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर (₹)	उपकर (₹)	सलाहकार
विवरण	आईएमपीजी - विदेशों से माल का आयात						
	आईएमपीजी (संशोधन)						
	आईएमजीएसईजेड - एसईजेड से माल का आयात						
	आईएमजीएसईजेड (संशोधन)						
<b>भाग ख</b>	<b>उपलब्ध आईटीसी - प्रत्यय नोट्स को जीएसटीआर-3ख में सुसंगत उपलब्ध शीर्षकों के विरुद्ध प्रत्यय नोट्स समायोजित किया जाना चाहिए</b>						
1	अन्य	4(क)					प्रत्यय नोट्स सुसंगत आईटीसी उपलब्ध सारणियों [सारणी 4क(3,4,5)] के विरुद्ध समायोजित होंगे प्रत्यय नोट्स (रिवर्स चार्ज) के विरुद्ध दायित्व सारणी 3.1 (घ) में समायोजित होगी।
विवरण	ख2ख - प्रत्यय नोट्स	4(क)(5)					
	ख2ख - प्रत्यय नोट्स (संशोधन)	4(क)(5)					
	ख2ख - प्रत्यय नोट्स (रिवर्स चार्ज)	3.1(घ) 4(क)(3)					
	ख2ख - प्रत्यय नोट्स (रिवर्स चार्ज) (संशोधन)	3.1(घ) 4(क)(3)					
	आईएसडी - प्रत्यय नोट्स	4(क)(4)					
	आईएसडी - प्रत्यय नोट्स (संशोधन)	4(क)(4)					

## 4. आईटीसी सारांश उपलब्ध नहीं

(सभी अनुभागों में रकम ₹ में)

क्र.सं.	शीर्षक	जीएसटी आर-3ख-सारणी	एकीकृत कर (₹)	केंद्रीय कर (₹)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर (₹)	उपकर (₹)	सलाहकार
प्रत्यय जिसका लाभ प्ररूप जीएसटीआर-3ख के अधीन नहीं उठाया जा सकता							
भाग क आईटीसी उपलब्ध नहीं है							
1	रिवर्स चार्ज के अतिरिक्त पंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी अन्य आईटीसी पूर्तियाँ	4(घ)(2)					ऐसा प्रत्यय नहीं लिया जाएगा और उसे प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(घ)(2) में रिपोर्ट करना होगा।
विवरण	ख2ख -बीजक						
	ख2ख - विकलित नोट्स						
	ईसीओ - दस्तावेज़						
	ख2ख - बीजक (संशोधन)						
	ख2ख - विकलित नोट्स (संशोधन)						
	ईसीओ - दस्तावेज़ (संशोधन)						
2	आईएसडी से आवक पूर्ति	4(घ)(2)					ऐसा प्रत्यय नहीं लिया जाएगा और इसे प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(घ)(2) में रिपोर्ट करना होगा।
विवरण	आईएसडी - बीजक						
	आईएसडी - बीजक (संशोधन)						
3	आवक पूर्ति पर रिवर्स चार्ज दायी होगा	3.1(घ) 4(घ)(2)					इन पूर्तियों को कर भुगतान के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की

							सारणी 3.1(घ) में घोषित किया जाएगा।
विवरण	ख2ख - बीजक						
	ख2ख - विकलन नोट्स						
	ख2ख - बीजक (संशोधन)						
	ख2ख - विकलन नोट्स (संशोधन)						
भाग ख आईटीसी उपलब्ध नहीं है - प्रत्यय नोट को जीएसटीआर-3ख में सुसंगत आईटीसी उपलब्ध शीर्षकों के विरुद्ध समायोजित किया जाना चाहिए							
1	अन्य	4(क)					प्रत्यय नोट्स को सुसंगत आईटीसी उपलब्ध सारणियों [सारणी 4क(3,4,5)] के विरुद्ध समायोजित किया जाना चाहिए।
विवरण	ख2ख - प्रत्यय नोट्स	4(क)(5)					
	ख2ख - प्रत्यय नोट्स (संशोधन)	4(क)(5)					
	ख2ख - प्रत्यय नोट्स (रिवर्स चार्ज)	4(क)(3)					
	ख2ख - प्रत्यय नोट्स (रिवर्स चार्ज) (संशोधन)	4(क)(3)					
	आईएसडी - प्रत्यय नोट्स	4(क)(4)					
	आईएसडी - प्रत्यय नोट्स (संशोधन)	4(क)(4)					

### 5. आईटीसी उत्क्रमण सारांश (नियम 37क)

(सभी अनुभागों में रकम ₹ में)

क्र.सं.	शीर्षक	जीएसटीआर-3ख सारणी	एकीकृत कर (₹)	केंद्रीय कर (₹)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर (₹)	उपकर (₹)	सलाहकार
वह प्रत्यय जिसे प्ररूप जीएसटीआर-3ख के अधीन वापस किया जा सकता है							
भाग क अन्य रिवर्स आईटीसी -							
1	नियम 37क के कारण आईटीसी उत्क्रमण आईटीसी	4(ख)(2)					इस तरह के प्रत्यय को उलट दिया जाएगा और उसे प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख)(2) में रिपोर्ट करना होगा।
विवरण	ख2ख - बीजक						
	ख2ख- विकलन नोट्स						
	ख2ख - बीजक (संशोधन)						
	ख2ख - विकलन नोट्स (संशोधन)						

निर्देश:

- उपयोग किए गए पद: -
  - आईटीसी - इनपुट टैक्स प्रत्यय
  - ख. ख2ख - कारबार से कारबार
  - ग. आईएसडी - इनपुट सेवा वितरक
  - घ. आईएमपीजी - माल का आयात
  - ड. आईएमपीजीएसईजेड - एसईजेड से माल का आयात
  - च. ईसीओ - ई-कॉमर्स ऑपरेटर

## 2. महत्वपूर्ण सलाह:

क) प्ररूप जीएसटीआर-2ख एक ऐसा विवरण है जो आपके आपूर्तिकर्ताओं या ईसीओ द्वारा उनके संबंधित प्ररूप जीएसटीआर-1/आईएफएफ, 1क, 5 और 6 में दी गई जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। यह एक स्थिर विवरण है और इसे महीने में एक बार उपलब्ध कराया जाएगा। आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी भी प्ररूप जीएसटीआर-1/आईएफएफ, 5 और 6 में फाइल किए गए दस्तावेज़ प्राप्तकर्ता के अगले खुले प्ररूप जीएसटीआर-2ख में दिखाई देंगे, भले ही आपूर्तिकर्ता द्वारा इसे फाइल करने की तारीख कुछ भी क्यों न हो। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे प्ररूप जीएसटीआर-3ख में प्रत्यय प्राप्त करने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-2ख देखें। तथापि, अतिरिक्त विवरण के मामले में, वे अधिक जानकारी के लिए अपने संबंधित प्ररूप जीएसटीआर-2क (जिसे लगभग वास्तविक समय के आधार पर अपडेट किया जाता है) का संदर्भ ले सकते हैं।

ख) इसके अतिरिक्त, प्ररूप जीएसटीआर-1क में घोषित या संशोधित आपूर्ति अगले खुले प्ररूप जीएसटीआर-2ख में उपलब्ध कराई जाएगी।

ग) निम्नलिखित परिदृश्यों में इनपुट कर प्रत्यय अनुपलब्ध बताया जाकगा: -

- i. माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए बीजक या विकलन नोट, जहां प्राप्तकर्ता सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 की उप-धारा (4) के उपबंधों के अनुसार इनपुट कर प्रत्यय का हकदार नहीं है।
- ii. बीजक या विकलन नोट जहां आपूर्तिकर्ता (जीएसटीआईएन) और आपूर्ति का स्थान एक ही राज्य में हैं जबकि प्राप्तकर्ता दूसरे राज्य में है।

तथापि, ऐसे अन्य परिदृश्य भी हो सकते हैं, जिनके लिए करदाताओं को इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध नहीं हो सकता है और सिस्टम द्वारा इसे उत्पन्न नहीं किया गया है। करदाताओं को अपने प्ररूप जीएसटीआर-3ख में ऐसे प्रत्यय का स्व-मूल्यांकन और उलट देना चाहिए।

3. यह ध्यान देने योग्य है कि प्ररूप जीएसटीआर-2ख में आपके संबंधित आपूर्तिकर्ता या ईसीओ द्वारा फाइल किए जा रहे सभी जीएसटीआर-1/आईएफएफ, 5 और 6 एस शामिल होंगे। सामान्य तौर पर, यह तारीख पिछले महीने



(एम-1) के लिए जीएसटीआर-1 (मासिक/त्रैमासिक)/आईएफएफ फाइल करने की तारीख से चालू महीने (एम) के लिए जीएसटीआर-1 (मासिक/त्रैमासिक)/आईएफएफ फाइल करने की तारीख के बीच होगी। उदाहरण के लिए, फरवरी महीने के लिए जीएसटीआर-2ख में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपने जीएसटीआर-1 /आईएफएफ, 5 और 6 में 12 फरवरी को 00:00 बजे से 11 मार्च को 23:59 बजे तक फाइल किए गए सभी दस्तावेज शामिल होंगे। यह ध्यान देने योग्य है कि माल के आयात के लिए, डेटा को वास्तविक समय के आधार पर अपडेट किया जा रहा है, इसलिए, महीने में किए गए आयात (जिस महीने के लिए जीएसटीआर-2ख तैयार किया जा रहा है) उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन तारीखों के लिए सुसंगत डेटा निकाला गया है, वे ऑनलाइन पोर्टल पर “एडवाइजरी देखें” टैब के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

4. इसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों/डेवलपर्स से आयात के आंकड़ों सहित आईसीईजीएटीई प्रणाली से माल के आयात की जानकारी भी शामिल है।
5. यह ध्यान दिया जा सकता है कि सेवाओं के आयात पर प्रत्यागम प्रभार प्रत्यय इस विवरण का हिस्सा नहीं है और इसे करदाताओं द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(2) में दर्ज किया जाना जारी रहेगा।
6. सारणी 3 में जीएसटीआर-2 ख तैयार करने की तारीख तक उपलब्ध आईटीसी का सारांश दिया गया है। इसे निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया गया है:

अ. भाग क में प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सुसंगत सारणियों में प्राप्त किए जा सकने वाले प्रत्यय का सारांश दिया गया है।

आ. भाग ख में प्रत्यय का सारांश सम्मिलित है, जिसे प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सुसंगत सारणी से समायोजित किया जाएगा।

7. सारणी 4 में जीएसटीआर-2ख तैयार करने की तारीख तक उपलब्ध न होने वाले आईटीसी का सारांश दिया गया है। इस सारणी में उपलब्ध प्रत्यय का लाभ प्ररूप जीएसटीआर-3ख में प्रत्यय के रूप में नहीं लिया जाएगा, किंतु प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(घ)(2) में अपात्र आईटीसी के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा। तथापि, प्रत्यागम के आधार पर कर का संदाय करने की देयता और प्रत्यय नोट्स की प्राप्ति पर समायोजित प्रत्यय की देयता ऐसी आपूर्ति के लिए जारी रहती है।

8. सारणी 5 में नियम 37क के अधीन 30 नवंबर को या उससे पहले वापस किए जाने वाले आईटीसी का सारांश दर्शाया गया है, जिस वित्तीय वर्ष में ऐसे बीजक या नामे नोट के संबंध में आईटीसी का लाभ उठाया गया है और आपूर्तिकर्ता द्वारा तत्स्थानी प्ररूप जीएसटीआर-3ख प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सारणी में स्वचालित रूप से भरी गई प्रत्यय को प्ररूप जीएसटीआर-3ख में प्रत्यागम किया जाएगा, किंतु इसे प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख)(2) में प्रत्यागम किए गए आईटीसी के रूप में रिपोर्ट किया जाना चाहिए। सारणी 5 को अगले वित्तीय वर्ष के सितंबर (अक्टूबर में उपलब्ध कराया जाएगा) के प्ररूप जीएसटीआर-2ख में ही उपलब्ध कराया जाएगा।

9. करदाताओं को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि प्ररूप जीएसटीआर-2ख में उत्पन्न डेटा उनके अपने रिकॉर्ड और खाता बही से मेल खाता हो। करदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि,-

क. किसी भी परिस्थिति में किसी भी दस्तावेज़ के लिए दो बार प्रत्यय नहीं लिया जाएगा।

ख. जहां भी आवश्यक होगा, प्रत्यय प्रत्यागम कर दिया जाएगा।

ग. प्रत्यागम प्रभार आधार पर कर का संदाय नकद में किया जाएगा।

10. बीजक, प्रत्यय नोट, नामे नोट, आईएसडी बीजक, आईएसडी प्रत्यय और नामे नोट, प्रविष्टियों का बिल आदि का विवरण भी ऑनलाइन और डाउनलोड सुविधा के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

11. ऐसे परिदृश्य हो सकते हैं जहां सरकार द्वारा लागू कर दर का प्रतिशत अधिसूचित किया जा सकता है। बीजक/दस्तावेजों के लिए एक अलग स्तंभ प्रदान किया जाएगा जहां ऐसी दर लागू होती है।

12. सारणी वार अनुदेश:

सारणी संख्या एवं शीर्षक	अनुदेश
<b>आईटीसी उपलब्ध सारांश</b>	
सारणी 3 भाग क खंड I प्रत्यागम प्रभार के अलावा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी अन्य आईटीसी आपूर्तियाँ	<p>i. इस अनुभाग में उन आपूर्तियों (उनके अलावा जिन पर प्रत्यागम प्रभार आधार पर कर का संदाय किया जाना है) का विवरण सम्मिलित है, जिन्हें आपके आपूर्तिकर्ताओं या ईसीओ द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर-1/आईएफएफ, जीएसटीआर-1क और जीएसटीआर-5 में घोषित और दाखिल किया गया है।</p> <p>ii. यह सारणी केवल उन आपूर्तियों को प्रदर्शित करती है जिन पर इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध है।</p> <p>iii. ख 2ख-बीजक और ख 2ख-नामे नोट्स में संशोधन के कारण यदि कोई नकारात्मक प्रत्यय उत्पन्न होता है, तो उसे प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4क(5) में समायोजित किया जाएगा।</p>
सारणी 3 भाग क खंड II आईएसडी से आवक आपूर्ति	<p>i. इस अनुभाग में उन आपूर्तियों का विवरण सम्मिलित है, जिन्हें इनपुट सेवा वितरक द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर-6 में घोषित और फाईल किया गया है।</p> <p>ii. यह सारणी केवल उन आपूर्तियों को प्रदर्शित करती है जिन पर आईटीसी उपलब्ध है।</p> <p>iii. आईएसडी संशोधन - बीजक में आईएसडी संशोधन के कारण नकारात्मक प्रत्यय, यदि कोई हो, उत्पन्न हो सकता है। इस तरह के प्रत्यय को प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4क(4) में समायोजित किया जाएगा।</p>
सारणी 3 भाग क खंड III आवक आपूर्ति पर प्रत्यागम प्रभार लागू होगा	<p>i. इस अनुभाग में उन आपूर्तियों का विवरण सम्मिलित है जिन पर प्रत्यागम प्रभार आधार पर कर का संदाय किया जाना है, जिन्हें आपके आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर-1/आईएफएफ और जीएसटीआर-1क में घोषित और फाईल किया गया है।</p>

	<p>ii. इस सारणी में केवल वे आपूर्तियाँ दी गई हैं जिन पर आईटीसी उपलब्ध है।</p> <p>iii. कर संदाय के लिए इन आपूर्तियों को प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1(घ) में घोषित किया जाएगा। कर संदाय पर प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(3) के अधीन प्रत्यय का लाभ उठाया जा सकता है।</p> <p>iv. ख2ख - इनवॉयस (प्रत्यागम प्रभार) और ख2ख-नामे नोट्स (प्रत्यागम प्रभार) में संशोधन के कारण नकारात्मक प्रत्यय, यदि कोई हो, उत्पन्न हो सकता है। इस तरह के प्रत्यय को प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(3) में समायोजित किया जाएगा।</p>
<p>सारणी 3 भाग क खंड IV माल का आयात</p>	<p>i. यह अनुभाग विदेशों से माल के आयात और एसईजेड इकाइयों/डिवलपर्स द्वारा प्रवेश पत्र और उसके संशोधन पर आपके द्वारा संदाय किए गए आईजीएसटी का विवरण प्रदान करता है। ये विवरण आइसगेट प्रणाली से लगभग वास्तविक समय के आधार पर अपडेट किए जाते हैं।</p> <p>ii. इस सारणी में उस माह में आपके द्वारा किए गए आयात (जीएसटीआईएन) का डेटा सम्मिलित होगा जिसके लिए जीएसटीआर-2ख तैयार किया जा रहा है।</p> <p>iii. आइसगेट संदर्भ तारीख वह तारीख है, जिससे प्राप्तकर्ता इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्र होता है।</p> <p>iv. सारणी में यह भी बताया गया है कि क्या प्रवेश पत्र में संशोधन किया गया था।</p> <p>v. सारणियों में जानकारी आइसगेट से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर दी गई है।</p>
<p>सारणी 3 भाग ख अनुभाग I अन्य</p>	<p>i. इस अनुभाग में प्राप्त प्रत्यय नोटों और उनके संशोधन का विवरण सम्मिलित है, जिन्हें आपके आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर-1/आईएफएफ, जीएसटीआर-1क और जीएसटीआर-5 में घोषित और फाईल किया गया है।</p> <p>ii. ये प्रत्यय नोट प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सुसंगत आईटीसी उपलब्ध सारणीओं [सारणी 4 क (3,4,5)] से समायोजित होंगे। प्रत्यय नोट्स (प्रत्यागम प्रभार) के प्रति देयता प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1(घ) में समायोजित होगी।</p>
<p><b>आईटीसी में सारांश उपलब्ध नहीं</b></p>	
<p>सारणी 4 भाग क खंड I प्रत्यागम प्रभार के अलावा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी अन्य आईटीसी</p>	<p>i. इस अनुभाग में आपूर्तियों (उनके अतिरिक्त जिन पर प्रत्यागम प्रभार आधार पर कर का संदाय किया जाना है) का विवरण सम्मिलित है, जिन्हें आपके आपूर्तिकर्ताओं या ईसीओ द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर-</p>

<p>आपूर्तियाँ</p>	<p>1/आईएफएफ, जीएसटीआर-1क और जीएसटीआर-5 में घोषित और फाईल किया गया है।</p> <p>ii. इस सारणी में केवल वे आपूर्तियां दी गई हैं जिन पर आईटीसी उपलब्ध नहीं है।</p> <p>iii. ऐसा प्रत्यय प्ररूप जीएसटीआर-3ख में नहीं लिया जाएगा। तथापि, ऐसे प्रत्यय को प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4घ(2) में अपात्र आईटीसी के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा।</p>
<p>सारणी 4 भाग क खंड II आईएसडी से आवक आपूर्ति</p>	<p>i. इस खंड में उन आपूर्तियों का विवरण सम्मिलित है, जिन्हें इनपुट सेवा वितरक द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर-6 में घोषित और फाईल किया गया है।</p> <p>ii. इस सारणी में केवल वे आपूर्तियां दी गई हैं जिन पर आईटीसी उपलब्ध नहीं है।</p> <p>iii. ऐसा प्रत्यय प्ररूप जीएसटीआर-3ख में नहीं लिया जाएगा। तथापि, ऐसे प्रत्यय को प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4घ(2) में अपात्र आईटीसी के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा।</p>
<p>सारणी 4 भाग क खंड III आवक आपूर्ति पर प्रत्यागम प्रभार लागू होगा</p>	<p>i. इस अनुभाग में प्रत्यागम प्रभार के लिए उत्तरदायी आपूर्तियों का विवरण सम्मिलित है, जिन्हें आपके आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर-1/आईएफएफ और जीएसटीआर-1क में घोषित और फाईल किया गया है।</p> <p>ii. इस सारणी में केवल वे आपूर्तियां दी गई हैं जिन पर आईटीसी उपलब्ध नहीं है।</p> <p>iii. इन आपूर्तियों को कर संदाय के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1(घ) में घोषित किया जाएगा। तथापि, ऐसी आपूर्तियों पर प्रत्यय उपलब्ध नहीं होगा।</p> <p>iv. ऐसे प्रत्यय को प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4घ(2) में अपात्र आईटीसी के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा।</p>
<p>सारणी 4 भाग ख अनुभाग I अन्य</p>	<p>i. इस अनुभाग में प्राप्त प्रत्यय नोट्स और उनके संशोधन का विवरण सम्मिलित है, जिन्हें आपके आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर-1/आईएफएफ, जीएसटीआर-1 क और जीएसटीआर-5 में घोषित और फाईल किया गया है।</p> <p>ii. इस सारणी में केवल वे प्रत्यय नोट दिए गए हैं जिन पर आईटीसी उपलब्ध नहीं है।</p> <p>iii. प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सुसंगत आईटीसी उपलब्ध सारणियों [सारणी 4क(3,4,5)] से समायोजित होंगे।</p>
<p>सारणी 5 भाग क खंड I नियम 37क के कारण</p>	<p>i. यह सारणी केवल सितम्बर माह के प्ररूप जीएसटीआर 2ख में उपलब्ध कराई जाएगी (अक्टूबर में उपलब्ध कराई जाएगी)।</p>

आईटीसी प्रत्यायन	<p>ii. सारणी में नियम 37क के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष के बीजक या नामे नोट के संबंध में प्रत्यायन किए जाने वाले इनपुट कर प्रत्यय का विवरण सम्मिलित होगा।</p> <p>iii. इस सारणी में स्वचालित रूप से भरी गई प्रत्यय को प्ररूप जीएसटीआर-3ख में उलट दिया जाएगा और इसे प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख)(2) में रिपोर्ट किया जाएगा।”।</p>
------------------	--

32. उक्त नियमों में, अधिसूचित तारीख से, प्ररूप जीएसटीआर-3ख में,-

क. सारणी 6.1 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी;

विवरण	देय कर	पिछली कर अवधि की नकारात्मक देयता का समायोजन	शुद्ध देय कर (2-3)	आईटीसी के माध्यम से संदाय किया गया कर				नकद में संदाय किया गया कर	नकद में संदाय किया गया ब्याज	विलम्ब शुल्क का संदाय नकद में किया जाएगा
				एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>i) प्रत्यागम प्रभार और (ii) धारा 9(5) के अधीन की गई आपूर्ति के अतिरिक्त</b>										
एकीकृत कर	<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>							
केंद्रीय कर	<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>							
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>							
उपकर	<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>							
<b>(ख) धारा 9(5) के अधीन प्रत्यागम प्रभार और आपूर्ति</b>										
एकीकृत कर	<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>							
केंद्रीय कर	<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>							
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>							
उपकर	<ऑटो>	<ऑटो>	<ऑटो>							

”

(ख) सारणी 6.2 का लोप कर दिया जाएगा।

33. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-4 में, अनुदेशों में, क्रम संख्या 2 पर, "ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति" शब्दों के पश्चात, "वित्तीय वर्ष 2023-24 तक के लिए शब्द और अक्षर रखे जाएंगे। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वित्तीय वर्ष



				राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8

”;

(ii) सारणी 4 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:-

मूल विवरण						पुनरीक्षित विवरण								
महीना	कटौतीकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक/दस्तावेज विवरण			टीडीएस के लिए उत्तरदायी कटौतीकर्ता को संदाय की गई राशि	कटौतीकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक/दस्तावेज विवरण			टीडीएस के लिए उत्तरदायी कटौतीकर्ता को संदाय की गई राशि	स्रोत पर कटौती की गई कर राशि			
		सं	तारीख	कीमत			सं	तारीख	कीमत		एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

(iii) अनुदेशों में,-

(क) क्रम संख्या 2 पर दिए गए अनुदेश के स्थान पर निम्नलिखित अनुदेश रखा जाएगा, अर्थात्:-

“2. सारणी 3 में बीजक/दस्तावेजवार काटे गए कर का विवरण दर्ज किया गया है।”

(ख) क्रम संख्या 4 पर दिए गए अनुदेश के पश्चात् निम्नलिखित अनुदेश अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“5. सारणी 3 के स्तंभ 5 और सारणी 4 के स्तंभ 6 और स्तंभ 11 में टीडीएस के लिए उत्तरदायी राशि, बीजक में दर्शाई गई केंद्रीय कर, राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर को छोड़कर राशि होगी।”

38. उक्त नियमों में, अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, प्ररूप जीएसटीआर-8 में, -

(i) अनुदेश शीर्षक के अधीन, पैरा 7 में, “जीएसटीआर-1” अक्षरों, शब्दों और अंकों के स्थान पर “(जीएसटीआर-1 या जीएसटीआर-1क)” अक्षर, शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) में प्ररूप जीएसटीआर-8, -

(क) क्रम संख्या 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“3. ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से की गई आपूर्ति का विवरण

(सभी सारणियों के लिए राशि रु. में)

आपूर्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	आपूर्ति का विवरण जिस पर टीसीएस लागू होता है	स्रोत पर एकत्रित कर की राशि	आपूर्ति का स्थान
----------------------------	---	-----------------------------	------------------

	आपूर्ति का सकल मूल्य	वापस की गई आपूर्ति	टीसीएस के लिए उत्तरदायी शुद्ध राशि	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	(पीओएस)
1	2	3	4	5	6	7	8
3क. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई आपूर्ति							
3ख. अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई आपूर्ति							

(ख) क्रम संख्या 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“4. किसी पूर्ववर्ती कथन के संबंध में आपूर्ति के व्यौरों में संशोधन

मूल व्यौरे		संशोधित व्यौरे							
मास	पूर्तिकर्ता का जीएसटीएन	पूर्तिकर्ता का जीएसटीएन	की गई आपूर्तियों के व्यौरे, जिनमें स्रोत पर कर संग्रहण होता है			स्रोत पर संग्रह कर की रकम			आपूर्ति का स्थान (पीओएस)
1	2	3	की गई आपूर्तियों का सकल मूल्य	वापस की गई आपूर्ति का मूल्य	स्रोत पर कर संग्रहण के लिए दायी कुल रकम	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	10
4क. रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई आपूर्तियां									
4ख. अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई आपूर्तियां									
									“

”;

39. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-9 में,

(क) सारणी में, -

(i) भाग II में,-

(क) क्रम सं 4 में,



(I) क्रम सं छ से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“छ1	धारा 9(5) के अनुसार वे आपूर्तियां, जिन पर ई-वाणिज्य प्रचालक से कर संदाय करना अपेक्षित है (संशोधनों सहित, यदि कोई हों) [ई-वाणिज्य प्रचालक को रिपोर्ट करना है]								”
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	---

;

(II) क्रम संख्या ज के सामने, - "उप-योग (ऊपर क से छ)", अक्षरों और शब्द के स्थान पर, "उप-योग (ऊपर क से छ 1)" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे”;

(ख) क्रम सं 5 .में,

(I) क्रम संख्या ग से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“

ग1	आपूर्तियां, जिन पर धारा 9(5) के अनुसार ई-वाणिज्य प्रचालकों द्वारा कर का संदाय किया जाना है [आपूर्तिकर्ता को रिपोर्ट करना है]								
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

”;

(II) क्रम संख्या ढ के सामने, "कुल आवर्त (अग्रिमों सहित) (ऊपर 4ढ + 5ड - 4छ)" अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर, "कुल आवर्त (अग्रिमों सहित) (ऊपर 4ढ + 5ड - 4छ - 4छ1)" अक्षर, अंक और शब्द रखे जाएंगे।”;

(ख) निर्देश शीर्षक के अधीन, -

(i) पैरा 4 में, -

(क) "या वित्त वर्ष 2022-23" शब्द और अंकों के पश्चात्, "या वित्त वर्ष 2023-24" शब्द और अंक अंत स्थापित किए जाएंगे;

(ख) सारणी में-

(I) "प्ररूप जीएसटीआर- 1" शब्द, अक्षरों और अंक के पश्चात्, जहां कहीं वे होते हैं, "प्ररूप जीएसटीआर- 1क" द्वारा यथासंशोधित, यदि कोई हो शब्द, अक्षर और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(II) क्रम संख्या 4छ से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्- :

4छ1	सभी आपूर्तियों के सकल मूल्य (संशोधनों का कुल योग), जिन पर धारा 9(5) के अधीन ई-वाणिज्य प्रचालकों द्वारा कर का संदाय किया जाना है, ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा रिपोर्ट किया जाना है। प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 15 और 15ए इन व्यौरों को भरने के लिए निर्दिष्ट की जा सकेगी।
-----	---

(III) क्रम संख्या 5ग से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टि अंतस्थापित की जाएगी:, अर्थात्- :

5ग1	ई-वाणिज्य प्रचालकों के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की गई आपूर्तियों के सकल मूल्य (संशोधनों का कुल योग), जिन पर धारा 9(5) के अधीन ई-वाणिज्य प्रचालकों द्वारा कर का संदाय किया जाना है, आपूर्तिकर्ता द्वारा रिपोर्ट किया जाना है। प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 14(ख) और 14क(ख) इन व्यौरों को भरने के लिए निर्दिष्ट की जा सकेगी।
-----	---

(IV) दूसरे स्तंभ में, क्रम संख्या 5घ, 5ङ और 5च के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत में अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

‘वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति गैर-जीएसटी आपूर्ति (5च) को पृथक् रूप से रिपोर्ट करेगा और उसके पास या तो अपनी आपूर्तियों को छूट प्राप्त और शून्य दर आपूर्ति के रूप में रिपोर्ट करने या "छूट प्राप्त" पंक्ति में केवल इन दो शीर्षों के लिए समेकित जानकारी रिपोर्ट करने का विकल्प होगा।’;

(V) दूसरे स्तंभ में, क्रम संख्या 5ज, 5झ, 5ञ और 5ट के सामने, "2021-22 और 2022-23" अंकों और शब्द के स्थान पर, "2021-22, 2022-23 और 2023-24" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(VI) दूसरे स्तंभ में, क्रम संख्या 5ढ के सामने, "प्रत्यागम भार आधार पर" शब्दों के पश्चात्, "और आपूर्तियां, जिन पर ई-वाणिज्य प्रचालकों से धारा 9(5) के अधीन करों का संदाय करना अपेक्षित है" शब्द, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) पैरा 5 में, सारणी के दूसरे स्तंभ में,-

(क) क्रम संख्या 6ख, 6ग, 6घ और 6ङ के सामने, "वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) क्रम संख्या 7क, 7ख, 7ग, 7घ, 7ङ, 7च, 7छ और 7ज के सामने, "2021-22 और 2022-23" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "2021-22, 2022-23 और 2023-24" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ग) क्रम सं. 8क के सामने, -

(I) "एसईजेड से प्राप्त" शब्दों के पश्चात्, "और ई-वाणिज्य प्रचालकों से प्राप्त आपूर्ति" शब्द अंतःस्थापित किए जाए ;

(II) "संबंधित आपूर्तिकर्ताओं" शब्दों के पश्चात्, "ई-वाणिज्य प्रचालकों सहित" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ; और

(III) अंत में निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"तथापि, वित्त वर्ष 2023-24 के पश्चात्, उस वित्तीय वर्ष से संबंधित आवक आपूर्ति (आयात और आवक आपूर्ति से पृथक्, जो प्रत्यागम भार के लिए दायी है, किंतु एसईजेड से प्राप्त सेवाओं को सम्मिलित करता है) के लिए उपलब्ध कुल क्रेडिट, जिसके लिए रिटर्न प्रस्तुत किया जा रहा है और प्ररूप जीएसटीआर-2ख की सारणी 3(झ) में दर्शाया गया है, इस सारणी में ऑटो-पॉप्युलेट किया जाएगा।"

(iii) पैरा 7 में,-

(क) "30 नवंबर, 2023 तक फाइल" शब्दों और अंकों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, भाग V में पिछले वित्तीय वर्ष के लेनदेन के विवरण सम्मिलित हैं, किंतु अप्रैल, 2024 से अक्टूबर, 2024 के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में संदाय किया गया है, जो 30 नवंबर, 2024 तक फाइल किया गया है।";

(ख) सारणी में, स्तंभ 2 में,-

(I) क्रम संख्या 10 और 11 के सामने, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत में अंतस्थापित : की जाएगी, अर्थात् :-

"वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, पिछले वित्तीय वर्ष के रिटर्न में पहले से घोषित किसी भी आपूर्ति में परिवर्धन या संशोधन का विवरण, किंतु इस प्रकार के संशोधन अप्रैल, 2024 से अक्टूबर, 2024 तक फाइल प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क, सारणी 9ख और सारणी 9ग में प्रस्तुत किए गए थे, जो 30 नवंबर, 2024 तक फाइल किए गए थे, यहां घोषित किए जाएंगे।";

(II) क्रम सं. 12 के सामने,-

i. "30 नवंबर, 2023 तक यहां घोषित किया जाएगा। इन विवरणों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4 (ख) का उपयोग किया जा सकेगा", शब्दों, अक्षरों, अंकों और कोष्ठक के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा :-

"वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, आईटीसी के प्रत्यागम का कुल मूल्य जो पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त किया गया था, किंतु अप्रैल, 2024 से अक्टूबर, 2024 के मासों के लिए फाइल रिटर्न में प्रत्यागम किया गया था, जो 30 नवंबर, 2024 तक फाइल किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा। इन विवरणों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर- 3ख की सारणी 4(ख) का उपयोग किया जा सकेगा।

ii. "2021-22 और 2022-23" अंकों और शब्द के स्थान पर, "2021-22, 2022-23 और 2023-24" अंक और शब्द रखें जाएंगे ;

(ग) क्रम संख्या 13 के सामने, -

(I) "वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुनः दावा किया गया, ऐसे आईटीसी पुनः दावा का विवरण वित्त वर्ष 2023-24 के वार्षिक रिटर्न में प्रस्तुत किया जाएगा" शब्दों और अंकों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं के लिए आईटीसी के विवरण किंतु इसके लिए आईटीसी अप्रैल, 2024 से अक्टूबर, 2024 के मासों के लिए फाइल रिटर्न में 30 नवंबर, 2024 तक फाइल किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा। इन विवरणों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की तालिका 4(क) का उपयोग किया जा सकता है। तथापि, कोई भी आईटीसी जिसे वित्तीय वर्ष 2023-24 में धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के अनुसार प्रत्यागम किया गया था, किंतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में पुनः प्राप्त किया गया था, ऐसे आईटीसी के विवरण वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक रिटर्न में प्रस्तुत किए जाएंगे।

(II) "2021-22 और 2022-23" अंकों और शब्द के स्थान पर, "2021-22, 2022-23 और 2023-24" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) पैरा 8 में, सारणी के दूसरे स्तंभ में,-

(क) क्रम संख्या,-

(I) 15क, 15ख, 15ग और 15घ,

(II) 15ङ, 15च और 15छ,

(III) 16क,

(IV) 16ख ; और

(V) 16ग;

के सामने" 2021-22 और 2022-23" अंकों और शब्द, जहां कहीं वे आते हैं, "2021-22, 2022-23 और 2023-24" अंक और शब्द रखे जाएंगे।";

(ख) क्रम सं. 17 और 18 के सामने,

(I) "2021-22 और 2022-23" अंकों और शब्द के स्थान पर, "2021-22, 2022-23 और 2023-24" अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।";

(II) "प्ररूप जीएसटीआर-1" शब्दों और अंक के पश्चात्, "प्ररूप जीएसटीआर -1क द्वारा यथा संशोधित, यदि कोई हो" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

40. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-9 में,-

(i) निर्देश शीर्षक के अधीन,-

(क) पैरा 4 में, सारणी में, दूसरे स्तंभ में, शब्दों और अंकों के स्थान पर,-

- "2021-22 और 2022-23", अंकों और शब्द, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर "2021-22, 2022-23 और 2023-24" अंक और शब्द रखे जाएंगे, और
- "2020-21 और 2021-22", अंकों और शब्द, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर "2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) पैरा 6 में, सारणी में, दूसरे स्तंभ में, क्रम संख्या 14 के सामने, "2021-22 और 2022-23" अंकों और शब्द के स्थान पर, "2021-22, 2022-23 और 2023-24" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

41. उक्त नियमों में, प्ररूप आरएफडी-01 में,-

(i) निर्देश शीर्षक के अधीन, पैरा 10 में, "जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2" अक्षरों, अंकों और शब्द के स्थान पर, "जीएसटीआर-1क द्वारा यथा संशोधित, यदि कोई हो" अक्षर, अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) कथन-8 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

**"विवरण 9क [नियम 89(2)(खख) देखें]**

**प्रतिदाय प्रकार : निर्यात के पश्चात् माल की कीमत में ऊपर की ओर पुनरीक्षण पर अतिरिक्त एकीकृत कर का संदाय**

निर्यात बीजक	शिपिंग बिल	निर्यात विवरण	प्रेषण	प्रतिदाय विवरण	निर्यात मूल्य वृद्धि के पश्चात्										
					पूरक बीजक/नामे नोट और आईजीएसटी संदाय विवरण				अतिरिक्त निर्यात प्रेषण विवरण						
सं. तारीख	बीजक का कुल मूल्य	निर्यात कोड का पोर्ट	सं. तारीख	बीआरसी/एफआईआरसी सं.	तारीख	प्रेषण रकम	रकम	सं. तारीख	पूरक बीजक का कुल मूल्य	प्ररूप जीएसटीआर - 3 बी रिटर्न अवधि में संदाय किया गया	कुल अतिरिक्त आईजीएसटी का संदाय	आईजीएसटी राशि पर ब्याज का संदाय	बीआरसी/एफआईआरसी सं.	तारीख	अतिरिक्त प्रेषण रकम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

### कथन 9ख [नियम 89(2)(खग)]

प्रतिदाय प्रकार: माल के निर्यात के लिए जारी किए गए नामे/प्रत्यय नोट/अनुपूरक बीजक के ब्यौरे

क्र. सं.	दस्तावेज का प्रकार (नामे नोट / प्रत्यय नोट/ अनुपूरक बीजक)	नामे नोट / प्रत्यय नोट/ अनुपूरक बीजक	दस्तावेज की तारीख	मास के लिए जीएसटी आर -1 में घोषित दस्तावेज	मास के लिए जीएसटी आर -3 में घोषित दस्तावेज के संबंध में दावा किया गया संदत्त कर दायित्व /आईटीसी	बीआरसी/विदेशी आवक विप्रेषण प्रमाण पत्र सं.	बीआरसी/विदेशी आवक विप्रेषण प्रमाण पत्र की तारीख	क्या नियम 96 (हां /नहीं) के अधीन पोत परिवहन पत्र के लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है	ऐसे पोत परिवहन पत्र सं. के ब्यौरे	ऐसे पोत परिवहन पत्र की तारीख	निर्यात को ड के पत्त न
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
											"1

42. उक्त नियमों में, प्ररूप आरएफडी-10 के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

### “प्ररूप जीएसटी आरएफडी-10क

(नियम 95ख देखें)

कैंटीन भंडार विभाग(सीएसडी) द्वारा प्रतिदाय के लिए आवेदन

1. जीएसटीआईएन :
2. नाम :
3. पता :
4. कर अवधि (तिमाही) : से <दिदि/मामा/वव >तक < दिदि/मामा/वव >
5. प्रतिदाय दावा की रकम :< आईएनआर ><शब्दों में >
6. प्राप्त माल की आवक आपूर्ति के ब्यौरे:

आपूर्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	दस्तावेज़ का प्रकार		बीजक ब्यौरे /नामे नोट /प्रत्यय नोट			दर	कराधेय मूल्य	कर की रकम		
	बीजक/नामे नोट	प्रत्यय नोट	सं.	तारीख	मूल्य			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

7. कुल प्रतिदाय के लिए आवेदन किया गया:

केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	कुल
< कुल >	< कुल >	< कुल >	< कुल >

8. बैंक खाते के ब्यौरे:

क. बैंक खाता संख्यांक

ख. बैंक खाता प्रकार

ग. बैंक का नाम

घ. खाता धारक का नाम

ड. बैंक शाखा का पता

च. आईएफएससी

छ. एमआईसीआर

9. प्रतिदाय आवेदन के साथ दस्तावेजों के संलग्नक:

10. सत्यापन

मैं----- <<कैटीन स्टोर विभाग का नाम>> के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में हूं, सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि सभी माल, जिनके संबंध में प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है, हमें सीएसडी की यूनिट रन कैटीन या सीएसडी के प्राधिकृत ग्राहकों को ऐसे माल की पश्चातवर्ती आपूर्ति के प्रयोजन के लिए प्राप्त हुए हैं और किसी भी बीजक के विरुद्ध पहले कोई प्रतिदाय का दावा नहीं किया गया है जिसके विरुद्ध इस आवेदन में प्रतिदाय का दावा किया गया है।

तारीख :

प्राधिकृत के हस्ताक्षर



हस्ताक्षरी :

स्थान :

नाम :

पदनाम/प्रास्थिति।”]

43. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी एपीएल-02 के शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्: -

“[नियम 108(3), 109(2), 110(1) और 111(1)देखें]”]

44. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी एपीएल-05 के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“प्ररूप जीएसटी एपीएल-05/07 डब्ल्यू

[नियम 113कदेखें]

अपील अधिकरण के समक्ष फाईल अपील/आवेदन वापस लेने के लिए आवेदन

1. जीएसटीआईएन:

2. कारोबार का नाम (विधिक) (यदि धारा 112 की उपधारा (1) के अधीन अपील फाईल की जाती है)

3. आवेदक का नाम और पदनाम (यदि अपील धारा 112 उपधारा (3) के अधीन फाईल की जाती है):

4. आदेश संख्यांक एवं तारीख :

5. अपील का एआरएन एवं तारीख :

6. वापिसी के कारण:

- i. प्रथम अपील प्राधिकारी के आदेश की स्वीकृति.
- ii. समान विषय वस्तु पर अपील अधिकरण/न्यायालय के आदेश की स्वीकृति
- iii. अपील/आवेदन में भूल/चूक को सुधारने के पश्चात फिर से अपील/आवेदन फाइल करने की आवश्यकता है
- iv. अपील में अन्तर्वलित रकम धारा 112 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अपील के लिए नियत मौद्रिक सीमा से कम है
- v. आवेदन में अन्तर्वलित रकम धारा 120 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार आवेदन के लिए नियत मौद्रिक सीमा से कम है
- vi. कोई अन्य कारण

7. घोषणा (धारा 112 की उपधारा (1) के अधीन अपील फाईल किए जाने की दशा में लागू): मैं/हम <करदाता का नाम > सत्यनिष्ठा से पुष्टि करते हैं और घोषणा करते हैं कि यहां दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थान:

हस्ताक्षर

तारीख :

आवेदक का नाम/आवेदक अधिकारी

पदनाम/प्रास्थिति।”]

45. उक्त नियमों में प्ररूप जीएसटीडीआरसी-01 क के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

**“प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क**

**धारा 73(5)/74(5) के अधीन संदेय की जाने वाली अभिनिश्चित कर की सूचना**

[नियम 142 (1क), (2क)देखें]

**भाग क**

सं. :

तारीख :

मामला आईडी सं.

सेवा में

जीएसटीआईएन .....

नाम .....

पता .....

**मामला कार्यवाही संदर्भ सं.....- धारा 73(5)/धारा 74(5) के अधीन दायित्व की सूचना**

कृपया उपरोक्त कार्यवाही देखें। इस संबंध में, धारा 73 (5)/ 74 (5) के अधीन आपके द्वारा संदेय कर/ब्याज/शास्ति की रकम उक्त मामले के संदर्भ में उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अभिनिश्चित की गई है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

अधिनियम	अवधि	कर	ब्याज	शास्ति	कुल
सीजीएसटी अधिनियम					
एसजीएसटी/यूटीजीएसटी अधिनियम					
आईजीएसटी अधिनियम					
उपकर					
कुल					

आधार और परिमाणीकरण संलग्न है /नीचे दिए गए हैं :

--

आपको सूचित किया जाता है कि आप ..... द्वारा लागू ब्याज की रकम के साथ ऊपर अभिनिश्चित की गई कर की रकम का संदाय करें, जिसके न हो सकने पर धारा 73 (1)के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा |

**या**

आपको सूचित किया जाता है कि आप ..... द्वारा धारा 74(5) के अधीन लागू ब्याज और शास्ति की रकम के साथ उपर्युक्त अभिनिश्चित की गई कर की रकम का संदाय करें, जिसके न हो सकने पर धारा 74 (1)के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा |

यदि आप उपरोक्त अभिनिश्चय के विरुद्ध कोई निवेदन फाईल करना चाहते हैं, तो इसे इस प्ररूप के भाग ख में..... प्रस्तुत किया जा सकता है |

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....

अधिकारिता .....

पता .....

संलग्नक अपलोड करें

### भाग ख

कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले संदाय के लिए संसूचना का प्रत्युत्तर दें  
[नियम 142 (2क)देखें]

सूचना की संदर्भ सं. :

तारीख :

कृपया सूचना आईडी देखें..... मामला आईडी..... के संबंध में जिसको धारा 73 (5) / 74 (5) के अधीन अभिनिश्चित संदेय कर की दायित्व को सूचित किया गया था.

इस संबंध में,

क.यह सूचित किया जाता है कि उक्त दायित्व का निर्वहन आंशिक रूप से/पूर्ण रूप से ..... रुपये की सीमा तक किया जाता है ..... के माध्यम से और शेष दायित्व के बारे में निवेदन संलग्न हैं/नीचे दिया गया है:

**या**

ख .उक्त दायित्व स्वीकार्य नहीं है और इस संबंध में निवेदन संलग्न है/ नीचे दिया गया है:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम .....

पदनाम / प्रास्थिति .....

संलग्नक अपलोड करें

**भाग ग**

[नियम 142(2क)देखें]

सूचना की संदर्भ सं.

तारीख :

सेवा में

जीएसटीआईएन .....

नाम .....

पता .....

**प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के भाग-क में दी गई संसूचना के प्रत्युत्तर में निवेदन और/या किए गए संदाय की स्वीकृति**

यह संदर्भ सं. -----तारीख -----द्वारा जारी प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से किए गए संदाय संदर्भ सं. ----  
--- तारीख ----- प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के भाग-क द्वारा जारी संसूचना के संदर्भ में है। आपके द्वारा किया गया  
उक्त संदाय संतोषजनक पाया गया है और इसलिए स्वीकार कर लिया गया है।

**या**

यह संदर्भ सं-----तारीख ----- को निर्दिष्ट करते हुए प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से किए गए संदाय के साथ  
संदर्भ सं. -----तारीख ----- प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के भाग-क द्वारा जारी संसूचना के प्रत्युत्तर संदर्भ सं.  
-----तारीख ----- द्वारा प्रस्तुत उत्तर के संदर्भ है। उक्त निवेदन और संदाय संतोषजनक पाया गया है और इसलिए  
स्वीकार कर लिया गया है।

या

यह संदर्भ सं -----तारीख -----द्वारा प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क के भाग-क में जारी संसूचना के प्रत्युत्तर संदर्भ सं. -----तारीख ----- द्वारा प्रस्तुत उत्तर के संदर्भ में है। उक्त उत्तर संतोषजनक पाया गया है और इसलिए स्वीकार कर लिया गया है।

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....

अधिकारिता .....

पता .....

संलग्नक अपलोड करें”;

46. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01 ख में, -

(i) भाग क में, क्रम संख्यांक 1 में, -

(क) "प्ररूप जीएसटीआर-1 में आपके द्वारा प्रस्तुत", शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात "प्ररूप जीएसटीआर-1क में यथासंशोधित, यदि कोई हो", शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) सारणी में, "प्ररूप जीएसटीआर-1/आईएफएफ" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "प्ररूप जीएसटीआर-1/जीएसटीआर-1क/आईएफएफ" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे;

(ii) भाग ख में, क्रम संख्यांक ख में, सारणी में, प्ररूप जीएसटीआर-1/आईएफएफ" जहां भी वे होते हैं, अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, "प्ररूप जीएसटीआर-1/जीएसटीआर -1 क/आईएफएफ" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे;

47. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में:-

(i) सारणी में,

(क) क्रम संख्यांक )3) पर प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

“3क	पोत परिवहन पत्र गलत आईजीएसटी प्रतिदाय के ब्यौरे (केवल तभी समर्थित किया जाना चाहिए जब ड्रॉप डाउन मेनू में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग चुने गए हों)	<p>(i) (ख) पोत परिवहन पत्र/निर्यात पत्र सं. एवं तारीख:</p> <p>(ii) माल के निर्यात पर संदत्त किए गए आईजीएसटी की रकम :</p> <p>(iii) अधिसूचना सं. रियायती दर या छूट पर इनपुट प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है (नियम 96 के उपनियम 10 के उल्लंघन के मामलों में):</p> <p>(iv) अधिसूचना की तारीख:</p> <p>(v) प्राप्त प्रतिदाय की रकम :</p> <p>(vi) गलत प्रतिदाय की रकम जमा करनी होगी :</p> <p>(vii) बैंक खाते में प्रतिदाय प्रत्यय करने की तारीख :”;</p>
-----	---	---

(ख) क्रम संख्यांक (5) पर प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“5.	<p>के ब्यौरे</p> <p>i. संपरीक्षा</p> <p>ii. निरीक्षण या अन्वेषण</p> <p>iii. एससीएन जारी करने के पश्चात / विवरण किन्तु आदेश जारी करने से पहले</p> <p>iv. संवीक्षा,</p> <p>v. प्ररूप जीएसटी डीआरसी -01क के माध्यम से अभिनिश्चित कर की सूचना ,</p> <p>vi. प्ररूप जीएसटी डीआरसी -01 ख के उत्तर में किया गया संदाय ,</p> <p>vii. प्ररूप जीएसटी डीआरसी -01 ग के उत्तर में किया गया संदाय ,</p> <p>viii. अप्रयुक्त आईटीसी के गलत प्रतिदाय की जमा ,</p> <p>ix. नियम 96ख के अधीन माल के निर्यात पर अप्रयुक्त आईटीसी की वापसी के संबंध में विदेशी विप्रेषण की गैर-प्राप्ति</p> <p>x. अन्य (निर्दिष्ट करें)</p>	संदर्भ सं. / एआरएन	जारी करने /फाईल करने की तारीख
-----	--	--------------------	-------------------------------

48. उक्त नियमों में प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

**“प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03क**

[नियम 142(2ख)देखें]

मांग के आदेश के विरुद्ध प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से संदत्त की गई रकम के समायोजन के लिए आवेदन

1.	जीएसटीआईएन	
2.	विधिक नाम	< ऑटो >
3.	व्यापार नाम, यदि कोई हो	< ऑटो >
4.	डीआरसी-03क का एआरएन	< ऑटो >
5.	डीआरसी -03क फाईल करने की तारीख	< ऑटो >
6.	डीआरसी -03 का एआरएन जिसके माध्यम से संदाय किया गया	
7.	डीआरसी -03 फाईल करने की तारीख	< ऑटो >
8.	डीआरसी -03 के माध्यम से संदत्त रकम	< ऑटो >

(रकम रु.में )

क्र. सं.	कर अवधि	अधिनियम	पूर्ति का स्थान	कर / उपकर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>
<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>
कुल	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>

9.	मांग के ऑर्डर की निर्देश संख्या जिसके लिए संदाय करना आशयित था (जिसके अंतर्गत सुधार/ अपील ऑर्डर भी है)	
10.	ऑर्डर जारी करने की तारीख	< स्वत:>
11.	मांग की रकम	< स्वत:>

(रकम रुपए में)

क्र. सं.	कर अवधि	अधिनियम	पूर्ति का स्थान	कर / उपकर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>
<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>
कुल	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>

12.	<p style="text-align: center;"><b>वचनबंध</b></p> <p>मैं वचनबंध हूँ कि उपरोक्त क्रम सं. 6 पर उल्लिखित अनन्य एआरएन सं. के साथ प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 द्वारा किया गया संदाय वास्तविक रूप से मेरे द्वारा 'मांग के प्रति संदाय' के रूप में संदत्त किया गया था जो कि मांग के लिए संदत्त करना आशयित था (ऊपर क्रम सं. 9 पर उल्लिखित यथास्थिति प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07, जीएसटी डीआरसी-08 या प्ररूप जीएसटी एपीएल-04 के अनन्य एआरएन सं. सहित) तथा मेरे द्वारा किसी अन्य मांग या संदाय के लिए उसका उपयोग नहीं किया गया है।</p> <p>मैं ये भी वचनबंध करता हूँ कि इस प्ररूप के उपयोग से समायोजित रकम, लागू ब्याज के साथ सरकार को वापिस संदेय करूंगा, यदि तत्पश्चात ऊपर घोषित ब्योरे में से कुछ भी गलत पाया जाता है। मैं केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 122 (1) (x) के अधीन दंड कार्यवाही के लिए दायी होगा।</p>
13.	<p><b>सत्यापन-</b></p> <p>मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना, मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुरूप सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।</p>

तारीख.....

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर  
नाम पदनाम / प्रास्थिति "।

49. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-04 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात:-

**“प्ररूप जीएसटी डीआरसी-04**  
**[नियम 142(2) तथा 142(3) देखें]**

निर्देश सं.:

तारीख.....

सेवा में

.....जीएसटीआईएन/आईडी

.....नाम

.....पता

कर अवधि.....

वित्तीय वर्ष.....

एआरएन-

तारीख-



स्वेच्छा से किए गए संदाय की अभिस्विकृति।

ऊपर निर्दिष्ट आवेदन द्वारा आपके द्वारा किए गए संदाय की संदत्त रकम तक अभिस्विकृति की जाती है। यह प्रणाली जनित अभिस्विकृति है तथा हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है।”।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/21/2024-जीएसटी]

राघवेंद्र पाल सिंह, निदेशक

**टिप्पण.-** मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड(i) में अधिसूचना संख्यांक 3/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा संख्या सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित हुए थे तथा अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक 52/2023-केंद्रीय कर, तारीख 26 अक्टूबर, 2023 द्वारा, संख्यांक सा.का.नि. 798(अ), तारीख 26 अक्टूबर, 2023 द्वारा संशोधित किए गए थे।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th July, 2024

**No. 12/2024 – Central Tax**

**G.S.R. 376(E).** — In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

**1. Short title and commencement.** —(1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Amendment) Rules, 2024.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), with effect from a date to be notified, in rule 8, in sub-rule (4A), after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided further that every application made under sub-rule (4) by a person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, who has not opted for authentication of Aadhaar number, shall be followed by taking photograph of the applicant where the applicant is an individual or of such individuals in relation to the applicant as notified under sub-section (6C) of section 25 where the applicant is not an individual, along with the verification of the original copy of the documents uploaded with the application in FORM GST REG-01 at one of the Facilitation Centers notified by the Commissioner for the purpose of this sub-rule and the application shall be deemed to be complete only after successful verification as laid down under this proviso.”.

3. In the said rules, in rule 21, –

(i) in clause (f), after the words, letters and figures “FORM GSTR-1”, the letters, words and figures “, as amended in FORM GSTR-1A if any,” shall be inserted;

(ii) after clause (g), the following clause shall be inserted, namely: -

“(ga) violates the provisions of third or fourth proviso to sub-rule (1) of rule 23; or”.

4. In the said rules, in rule 21A, in sub-rule (2A), in clause (a), –

(i) after the words, letters and figures “furnished in FORM GSTR-1”, the letters, words and figures “, as amended in FORM GSTR-1A if any,” shall be inserted;

(ii) after the words, letters and figures “in their FORM GSTR-1”, the words, letters and figures “or in FORM GSTR-1A of the previous tax period, if any” shall be inserted.

5. In the said rules, in rule 28, with effect from the 26<sup>th</sup> day of October, 2023, –

(i) in sub-rule (2), –

(a) after the words “who is a related person”, the words “located in India” shall be inserted;

(b) after the words “amount of such guarantee offered”, the words “per annum” shall be inserted.

(ii) after sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely,–

“Provided that where the recipient is eligible for full input tax credit, the value declared in the invoice shall be deemed to be the value of said supply of services.”.

6. In the said rules, in rule 36, in sub-rule (4), in clause (a), after the words, letters and figures “FORM GSTR-1”, the letters, words and figures “, as amended in FORM GSTR-1A if any,” shall be inserted.

7. In the said rules, in rule 37A, after the words, letters and figures “FORM GSTR-1”, the letters, words and figures “, as amended in FORM GSTR-1A if any,” shall be inserted.

8. In the said rules, with effect from a date to be notified, in rule 39, –

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely: —

“(1) An Input Service Distributor shall distribute input tax credit in the manner and subject to the following conditions, namely: —

(a) the input tax credit available for distribution in a month shall be distributed in the same month and the details thereof shall be furnished in **FORM GSTR-6** in accordance with the provisions of Chapter VIII of these rules;

(b) the amount of the credit distributed shall not exceed the amount of credit available for distribution;

(c) the credit of tax paid on input services attributable to a recipient of credit shall be distributed only to that recipient;

(d) the credit of tax paid on input services attributable to more than one recipient of credit shall be distributed amongst such recipients to whom the input service is attributable and such distribution shall be *pro rata* on the basis of the turnover in a State or turnover in a Union territory of such recipient, during the relevant period, to the aggregate of the turnover of all such recipients to whom such input service is attributable and which are operational in the

current year, during the said relevant period;

- (e) the credit of tax paid on input services attributable to all recipients of credit shall be distributed amongst such recipients and such distribution shall be *pro rata* on the basis of the turnover in a State or turnover in a Union territory of such recipient, during the relevant period, to the aggregate of the turnover of all recipients and which are operational in the current year, during the said relevant period;
- (f) the input tax credit that is required to be distributed in accordance with the provisions of clause (d) and (e) to one of the recipients "R1", whether registered or not, from amongst the total of all the recipients to whom input tax credit is attributable, including the recipients who are engaged in making exempt supply, or are otherwise not registered for any reason, shall be the amount, "C1", to be calculated by applying the following formula -

$$C_1 = (t_1 / T) \times C$$

where,

"C" is the amount of credit to be distributed,

"t<sub>1</sub>" is the turnover, as referred to in clause (d) and (e), of person R<sub>1</sub> during the relevant period, and

"T" is the aggregate of the turnover, during the relevant period, of all recipients to whom the input service is attributable in accordance with the provisions of clause (d) and (e);

- (g) the Input Service Distributor shall, in accordance with the provisions of clause (d) and (e), separately distribute the amount of ineligible input tax credit (ineligible under the provisions of sub-section (5) of section 17 or otherwise) and the amount of eligible input tax credit;
- (h) the input tax credit on account of central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax shall be distributed separately in accordance with the provisions of clause (d) and (e);
- (i) the input tax credit on account of integrated tax shall be distributed as input tax credit of integrated tax to every recipient;
- (j) the input tax credit on account of central tax and State tax or Union territory tax shall—

(i) in respect of a recipient located in the same State or Union territory in which the Input Service Distributor is located, be distributed as input tax credit of central tax and State tax or Union territory tax respectively;

(ii) in respect of a recipient located in a State or Union territory other than that of the Input Service Distributor, be distributed as integrated tax and the amount to be so distributed shall be equal to the aggregate of the amount of input tax credit of central tax and State tax or Union territory tax that qualifies for distribution to such recipient as referred to in clause (d) and (e);

- (k) the Input Service Distributor shall issue an Input Service Distributor invoice, as provided in sub-rule (1) of rule 54, clearly indicating in such invoice that it is issued only for distribution of input tax credit;
- (l) the Input Service Distributor shall issue an Input Service Distributor credit note, as provided in sub-rule (1) of rule 54, for reduction of credit in case the input tax credit already distributed gets reduced for any reason;
- (m) any additional amount of input tax credit on account of issuance of a debit note to an Input Service Distributor by the supplier shall be distributed in the manner and subject to the conditions specified in clauses (a) to (j) and the amount attributable to any recipient shall be calculated in the manner provided in clause (f) and such credit shall be distributed in the month in which the debit note is included in the return in **FORM GSTR-6**;
- (n) any input tax credit required to be reduced on account of issuance of a credit note to the Input Service Distributor by the supplier shall be apportioned to each recipient in the same ratio in which the input tax credit contained in the original invoice was distributed in terms of clause (f), and the amount so apportioned shall be-
- (i) reduced from the amount to be distributed in the month in which the credit note is included in the return in **FORM GSTR-6**; or
- (ii) added to the output tax liability of the recipient where the amount so apportioned is in the negative by virtue of the amount of credit under distribution being less than the amount to be adjusted.”;
- (ii) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-  
“(1A) For the distribution of credit in respect of input services, attributable to one or more distinct persons, subject to levy of tax under sub-section (3) or (4) of section 9, a registered person, having the same PAN and State code as an Input Service Distributor, may issue an invoice or, as the case may be, a credit or debit note as per the provisions of sub-rule(1A) of rule 54 to transfer the credit of such common input services to the Input Service Distributor, and such credit shall be distributed by the said Input Service Distributor in the manner as provided in sub-rule (1).”;
- (iii) in sub-rule (2), for the words and brackets “clause (j)”, the words and brackets “clause (n)” shall be substituted;
- (iv) in sub-rule (3), for the words and brackets “clause (h)”, the words and brackets “clause (l)” shall be substituted;
- (v) after sub-rule (3), the following explanation shall be inserted, namely: –  
“Explanation. — For the purpose of this rule, –
- (i) the term “relevant period” shall be—
- (a) if the recipients of credit have turnover in their States or Union territories in the financial year preceding the year during which credit is to be distributed, the said financial year; or
- (b) if some or all recipients of the credit do not have any turnover in their States or Union territories in the financial year preceding the year during which

the credit is to be distributed, the last quarter for which details of such turnover of all the recipients are available, previous to the month during which credit is to be distributed;

- (ii) the expression “recipient of credit” means the supplier of goods or services or both having the same Permanent Account Number as that of the Input Service Distributor;
- (iii) the term “turnover”, in relation to any registered person engaged in the supply of taxable goods as well as goods not taxable under this Act, means the value of turnover, reduced by the amount of any duty or tax levied under entries 84 and 92A of List I of the Seventh Schedule to the Constitution and entries 51 and 54 of List II of the said Schedule.”.

9. In the said rules, in rule 40, in sub-rule (1), in clause (e), after the words, letters and figures “FORM GSTR-1”, the words, letters and figures “and in FORM GSTR-1A, if any,” shall be inserted;

10. In the said rules, in rule 48, in sub-rule (3), after the words, letters and figures “FORM GSTR-1”, the words, letters and figures “or in FORM GSTR-1A, if any” shall be inserted;

11. In the said rules, in rule 59, –

(i) after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the said person may, after furnishing the details of outward supplies of goods or service or both in FORM GSTR-1 for a tax period but before filing of return in FORM GSTR-3B for the said tax period, at his own option, amend or furnish additional details of outward supplies of goods or services or both in FORM GSTR-1A for the said tax period electronically through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre as may be notified by the Commissioner.”;

(ii) in sub-rule (4), with effect from 1<sup>st</sup> day of August, 2024, for the words “two and a half lakh rupees” wherever they occur, the words “one lakh rupees” shall be substituted;

(iii) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely: –

“(4A) The additional details or the amendments of the details of outward supplies of goods or services or both furnished in FORM GSTR-1A may, as per the requirement of the registered person, include the –

(a) invoice wise details of -

(i) inter-State and intra-State supplies made to the registered persons; and

(ii) inter-State supplies with invoice value more than one lakh rupees made to the unregistered persons;

(b) consolidated details of -

(i) intra-State supplies made to unregistered persons for each rate of tax; and

(ii) State wise inter-State supplies with invoice value upto one lakh rupees made to unregistered persons for each rate of tax;

(c) debit and credit notes, if any, issued during the month for invoices issued previously.”.

12. In the said rules, in rule 60, –

(i) in sub-rule (1), after the words, letters and figures “FORM GSTR-1”, the words, letters and figures “or FORM GSTR-1A” shall be inserted;

(ii) in sub-rule (7), after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely: –

“(iia) the additional details or amendments in details of outward supplies furnished by his supplier in FORM GSTR-1A filed between the day immediately after the due date of furnishing of FORM GSTR-1 for the previous tax period to the due date of furnishing of FORM GSTR-1 for the current tax period;”.

13. In the said rules, in rule 62, after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely: –  
“Provided that the return in FORM GSTR-4 for a financial year from FY 2024-25 onwards shall be required to be furnished by the registered person till the thirtieth day of June following the end of such financial year.”.

14. In the said rules, in rule 78, after the words, letters and figures “supplier in FORM GSTR-1”, the letters, words and figures “, as amended in FORM GSTR-1A if any,” shall be inserted.

15. In the said rules, in rule 88B, after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely: –  
“Provided that where any amount has been credited in the Electronic Cash Ledger as per provisions of sub-section (1) of section 49 on or before the due date of filing the said return, but is debited from the said ledger for payment of tax while filing the said return after the due date, the said amount shall not be taken into consideration while calculating such interest if the said amount is lying in the said ledger from the due date till the date of its debit at the time of filing return.”.

16. In the said rules, in rule 88C, in sub-rule (1), after the words, letters and figures “FORM GSTR-1”, the letters, words and figures “, as amended in FORM GSTR-1A if any,” shall be inserted.

17. In the said rules, in rule 89, –

(i) after sub-rule (1A), the following sub-rule shall be inserted, namely: –

“(1B) Any person, claiming refund of additional integrated tax paid on account of upward revision in price of the goods subsequent to exports, and on which the refund of integrated tax paid at the time of export of such goods has already been sanctioned as per rule 96, may file an application for such refund of additional integrated tax paid, electronically in FORM GST RFD-01 through the common portal, subject to the provisions of rule 10B, before the expiry of two years from the relevant date as per clause (a) of Explanation (2) of section 54:

Provided that the said application for refund can, in cases where the relevant date as per clause (a) of Explanation (2) of section 54 of the Act was before the date on which this sub-rule comes into force, be filed before the expiry of two years from the date on which this sub-rule comes into force.”;

(ii) in sub-rule (2), after clause (ba), the following shall be inserted, namely: –

“(bb) a statement containing the number and date of export invoices along with copy of such invoices, the number and date of shipping bills or bills of export along with copy of such shipping bills or bills of export, the number and date of Bank Realisation Certificate or foreign inward remittance certificate in respect of such shipping bills or bills of export along with copy of such Bank Realisation Certificate or foreign inward remittance certificate issued by Authorised Dealer-I Bank, the details of refund already sanctioned under sub-rule (3) of rule 96, the number and date of relevant supplementary invoices or debit notes issued subsequent to the upward revision in prices along with copy of such supplementary invoices or debit notes, the details of payment of additional amount of integrated tax, in respect of which such refund is claimed, along with proof of payment of such additional amount of integrated tax and interest paid thereon, the number and date of foreign inward remittance certificate issued by Authorised Dealer-I Bank in respect of additional foreign exchange remittance received in respect of upward revision in price of exports along with copy of such foreign inward remittance certificate, along with a certificate issued by a practicing chartered accountant or a cost accountant to the effect that the said additional foreign exchange remittance is on account of such upward revision in price of the goods subsequent to exports and copy of contract or other documents, as applicable, indicating requirement for the revision in price of exported goods and the price revision thereof, in a case where the refund is on account of upward revision in price of such goods subsequent to exports;

(bc) a reconciliation statement, reconciling the value of supplies declared in supplementary invoices, debit notes or credit notes issued along with relevant details of Bank Realisation Certificate or foreign inward remittance certificate issued by Authorised Dealer-I Bank, in a case where the refund is on account of upward revision in price of such goods subsequent to exports;”.

18. In the said rules, after rule 95, the following rule shall be inserted, namely: –

“95B. Refund of tax paid on inward supplies of goods received by Canteen Stores Department. – (1) Notwithstanding anything contained in rule 95, a Canteen Stores Department under the Ministry of Defence, which is eligible to claim the refund of fifty per cent. of the applicable central tax paid by it on all inward supplies of goods received by it for the purposes of subsequent supply of such goods to the Unit Run Canteens of the Canteen Stores Department or to the authorised customers of the Canteen Stores Department as per notification issued under section 55, shall apply for refund in FORM GST RFD-10A once in every quarter, electronically on the common portal.

(2) Such application for refund of tax paid on inward supplies of goods filed in FORM GST RFD-10A shall be dealt in a manner similar to that of application for refund filed in FORM GST RFD-01 in accordance with the provisions of rule 89.

(3) The refund of tax paid by the applicant shall be available, if-

(a) the inward supplies of goods were received from a registered person against a tax invoice and details of such supplies have been furnished by the said registered person in his details of outward supply in FORM GSTR-1 and the said supplier has furnished his return in FORM GSTR-3B for the concerned tax period;

(b) name and Goods and Services Tax Identification Number of the applicant is mentioned in the tax invoice; and

(c) goods have been received by Canteen Stores Department for the purpose of subsequent supply to the Unit Run Canteens of the Canteen Stores Department or to the authorised customers of the Canteen Stores Department.”.

19. In the said rules, in rule 96, —

(i) in sub-rule (1),—

(a) in the proviso to clause (b), after the words, letters and figures “FORM GSTR-1”, the letters, words and figures “, as amended in FORM GSTR-1A if any,” shall be inserted;

(b) after clause (c), in the long line, the following proviso shall be inserted, namely: –

“Provided that the exporter of goods may file an application electronically in FORM GST RFD-01 through the common portal for refund of additional integrated tax paid on account of upward revision in price of goods subsequent to export of such goods, and on which the amount of integrated tax paid at the time of export of such goods has already been refunded in accordance with provisions of sub-rule (3) of this rule, and such application shall be dealt with in accordance with the provisions of rule 89.”;

(ii) in sub-rule (2), after the words, letters and figures “contained in FORM GSTR-1”, the letters, words and figures “, as amended in FORM GSTR-1A if any,” shall be inserted.

20. In the said rules, in rule 96A, —

(iii) in sub-rule (1), for clause (b), the following shall be substituted, namely:-

“(b) fifteen days after the expiry of one year, or the period as allowed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) including any extension of such period as permitted by the Reserve Bank of India, whichever is later, from the date of issue of the invoice for export, or such further period as

may be allowed by the Commissioner, if the payment of such services is not received by the exporter in convertible foreign exchange or in Indian rupees, wherever permitted by the Reserve Bank of India.”;

(ii) in sub-rule (2), after the words, letters and figures “contained in FORM GSTR-1”, the letters, words and figures “, as amended in FORM GSTR-1A if any,” shall be inserted.

21. In the said rules, for rule (110), the following rule shall be substituted, namely: -

“110 Appeal to the Appellate Tribunal.— (1) An appeal to the Appellate Tribunal under sub-section (1) of section 112 shall be filed in FORM GST APL-05, along with the relevant documents, electronically and provisional acknowledgement shall be issued to the appellant immediately:

Provided that an appeal to the Appellate Tribunal may be filed manually in FORM GST APL-05, along with the relevant documents, only if the Registrar allows the same by issuing a special or general order to that effect, subject to such conditions and restrictions as specified in the said order, and in such case, a provisional acknowledgement shall be issued to the appellant immediately.

(2) A memorandum of cross-objections to the Appellate Tribunal under sub-section (5) of section 112, if any, shall be filed electronically in FORM GST APL-06:

Provided that the memorandum of cross-objections may be filed manually in FORM GST APL-06, only if the Registrar allows the same by issuing a special or general order to that effect, subject to such conditions and restrictions as specified in the said order.

(3) The appeal and the memorandum of cross objections shall be signed in the manner specified in rule 26.

(4) Where the order appealed against is uploaded on the common portal, a final acknowledgement, indicating appeal number, shall be issued in FORM GST APL-02 on removal of defects, if any, and the date of issue of the provisional acknowledgement shall be considered as the date of filing of appeal under sub-rule (1):

Provided that where the order appealed against is not uploaded on the common portal, the appellant shall submit or upload, as the case may be, a self-certified copy of the said order within a period of seven days from the date of filing of FORM GST APL-05 and a final acknowledgement, indicating appeal number, shall be issued in FORM GST APL-02 on removal of defects, if any, and the date of issue of the provisional acknowledgment shall be considered as the date of filing of appeal:

Provided further that where the said self-certified copy of the order is submitted or uploaded after a period of seven days from the date of filing of FORM GST APL-05, a final acknowledgement, indicating appeal number, shall be issued in FORM GST APL-02 on removal of defects, if any, and the date of submission or uploading of such self-certified copy shall be considered as the date of filing of appeal.

*Explanation.*—For the purposes of this rule, the appeal shall be treated as filed only when the final acknowledgement, indicating the appeal number, is issued.

(5) The fees for filing of appeal or restoration of appeal shall be one thousand rupees for every one lakh rupees of tax or input tax credit involved or the difference in tax or input tax credit involved or the amount of fine, fee or penalty determined in the order appealed against, subject to a maximum of twenty five thousand rupees and a minimum of five thousand rupees:

Provided that the fees for filing of an appeal in respect of an order not involving any demand of tax, interest, fine, fee or penalty shall be five thousand rupees.

(6) There shall be no fee for application made before the Appellate Tribunal for rectification of errors referred to in sub-section (10) of section 112.”.

22. In the said rules, for rule 111, the following rule shall be substituted, namely: -



“111 Application to the Appellate Tribunal.— (1) An application to the Appellate Tribunal under sub-section (3) of section 112 shall be filed in Form GST APL-07, along with the relevant documents, electronically and a provisional acknowledgement shall be issued to the appellant immediately:

Provided that an application to the Appellate Authority may be filed manually in FORM GST APL-07, along with the relevant documents, only if the Registrar allows the same by issuing a special or general order to that effect, subject to such conditions and restrictions as specified in the said order, and in such case, a provisional acknowledgement shall be issued to the appellant immediately.

(2) A memorandum of cross-objections to the Appellate Tribunal under sub-section (5) of section 112, if any, shall be filed electronically in FORM GST APL-06:

Provided that the memorandum of cross-objections may be filed manually in FORM GST APL-06, only if the Registrar allows the same by issuing a special or general order to that effect, subject to such conditions and restrictions as specified in the said order.

(3) The appeal and the memorandum of cross objections shall be signed in the manner specified in rule 26.

(4) Where the order appealed against is uploaded on the common portal, a final acknowledgement, indicating appeal number, shall be issued in FORM GST APL-02 on removal of defects, if any, and the date of issue of the provisional acknowledgement shall be considered as the date of filing of appeal under sub-rule (1):

Provided that where the order appealed against is not uploaded on the common portal, the appellant shall submit or upload, as the case may be, a self-certified copy of the said order within a period of seven days from the date of filing of FORM GST APL-07 and a final acknowledgment, indicating appeal number shall be issued in Form GST APL-02 on removal of defects, if any, and the date of issue of the provisional acknowledgment shall be considered as the date of filing of appeal:

Provided further that where the said self-certified copy of the order is submitted or uploaded after a period of seven days from the date of filing of FORM GST APL-07, a final acknowledgement, indicating appeal number, shall be issued in FORM GST APL-02 on removal of defects, if any, and the date of submission or uploading of such self-certified copy shall be considered as the date of filing of appeal.

*Explanation 1.*—For the purposes of this rule, the appeal shall be treated as filed only when the final acknowledgement, indicating the appeal number, is issued.

*Explanation 2.*—For the purposes of rule 110 and 111, ‘Registrar’ shall mean a Registrar appointed by the Government for this purpose, and shall include Joint Registrar, Deputy Registrar and Assistant Registrar. ”.

23. In the said rules, after rule 113, the following rule shall be inserted, namely: -

“113A Withdrawal of Appeal or Application filed before the Appellate Tribunal:-The appellant may, at any time before the issuance of the order under sub-section (1) of section 113, in respect of any appeal filed in FORM GST APL-05 or any application filed in FORM GST APL-07, file an application for withdrawal of the said appeal or the application, as the case may be, by filing an application in FORM GST APL-05/07W:

Provided that where the final acknowledgment in FORM GST APL-02 has been issued, the withdrawal of the said appeal or the application, as the case may be, would be subject to the approval of the Appellate Tribunal and such application for withdrawal of the appeal or application, shall be decided by the Appellate Tribunal within fifteen days of filing of such application:

Provided further that any fresh appeal or application, as the case may be, filed by the appellant pursuant to such withdrawal shall be filed within the time limit specified in sub-section (1) or sub-section (3) of section 112, as the case may be.”.

24. In the said rules, with effect from a date to be notified, in rule 138, in sub-rule (3), after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that an unregistered person required to generate e-way bill in FORM GST EWB-01 in terms of the fourth proviso to sub-rule (1) or an unregistered person opting to generate e-way bill in Form GST EWB-01, on the common portal, shall submit the details electronically on the common portal in FORM GST ENR- 03 either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner and, upon validation of the details so furnished, a unique enrolment number shall be generated and communicated to the said person.”.

25. In the said rules, in rule 142,—

(i) in sub-rule (2), for the words, letters and figures “he shall inform the proper officer of such payment in FORM GST DRC-03 and the proper officer shall issue an acknowledgement, accepting the payment made by the said person in FORM GST DRC– 04”, the words, letters and figures “he shall inform the proper officer of such payment in FORM GST DRC-03 and an acknowledgement, in FORM GST DRC– 04 shall be made available to the person through the common portal electronically.” shall be substituted;

(ii) in sub-rule (2A), after the words, letters and figures “FORM GST DRC-01A”, the words, letters and figures “, and thereafter the proper officer may issue an intimation in Part-C of FORM GST DRC-01A, accepting the payment or the submissions or both, as the case may be, made by the said person” shall be inserted;

(iii) after sub-rule (2A), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(2B)Where an amount of tax, interest, penalty or any other amount payable by a person under section 52 or section 73 or section 74 or section 76 or section 122 or section 123 or section 124 or section 125 or section 127 or section 129 or section 130, has been paid by the said person through an intimation in FORM GST DRC-03 under sub-rule (2), instead of crediting the said amount in the electronic liability register in FORM GST PMT –01 against the debit entry created for the said demand, the said person may file an application in FORM GST DRC-03A electronically on the common portal, and the amount so paid and intimated through FORM GST DRC-03 shall be credited in Electronic Liability Register in FORM GST PMT –01 against the debit entry created for the said demand, as if the said payment was made towards the said demand on the date of such intimation made through FORM GST DRC-03:

Provided that where an order in FORM GST DRC-05 has been issued in terms of sub-rule (3) concluding the proceedings, in respect of the payment of an amount in FORM GST DRC-03, an application in FORM GST DRC-03A cannot be filed by the said person in respect of the said payment.”.

26. In the said rules, in rule 163, in sub-rule (1), in clause (c), after the words, letters and figures “FORM GSTR-1”, the letters, words and figures “, as amended in FORM GSTR-1A if any,” shall be inserted.

27. In the said rules, with effect from a date to be notified, after the FORM GST ENR-02, the following Form shall be inserted, namely: -

**“FORM GST ENR-03**

[See rule 138(3)]

**Application for Enrolment**

[only for un-registered persons]

1. Name of the State
2. (a) Name as per PAN  
(b) Trade Name, if any  
(c) PAN  
(d) Aadhaar, if applicable (optional)
3. Type of enrolment

- (i) Unregistered supplier of goods (ii) Unregistered recipient of goods  
 (iii) Both (i) & (ii)  
 4. Contact Information (the email address and mobile number will be used for authentication)  
 Email Address  
 Mobile Number  
 5. Consent

I on behalf of the holder of Aadhaar number <pre-filled based on Aadhaar number provided in the form> give consent to “Goods and Services Tax Network” to obtain my details from UIDAI for the purpose of authentication. “Goods and Services Tax Network” has informed me that identity information would only be used for validating identity of the Aadhaar holder and will be shared with Central Identities Data Repository only for the purpose of authentication.

6. List of documents uploaded  
 7. Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Place: Signature

Date:

Name of Authorised Signatory

For Office Use:

Enrolment no

Date- ”;

28. In the said rules, with effect from 1<sup>st</sup> day of August, 2024, in FORM GSTR-1,—

(i) in serial number 5, in the heading, for the figures, letters and words “Rs. 2.5 lakh”, the figures, letters and words “ Rs. 1 lakh” shall be substituted;

(ii) in serial number 7, in the Table, in serial number 7B, in the heading, for the figures, letters and words “Rs. 2.5 lakh”, the figures, letters and words “ Rs. 1 lakh” shall be substituted;

(iii) in serial number B. Table specific instructions, in the table, in third column, against serial number 3, for the figures, letters and words “Rs. 2.50 lakh”, the figures, letters and words “ Rs. 1 lakh” shall be substituted.

29. In the said rules, after FORM GSTR-1, the following Form shall be inserted, namely:

**“FORM GSTR-1A**  
**[See proviso to rule 59(1)]**

**Amendment of outward supplies of goods or services for current tax period**

[Financial Year]				
[Tax Period]				

1.		GSTIN																
2.	(a)	Legal name of the registered person																







**12. HSN-wise summary of outward supplies**

Sr. No.	HSN	Description	UQC	Total Quantity	Rate of Tax	Total Taxable Value	Amount			
							Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**13. Documents issued during the tax period**

Sr. No.	Nature of document	Sr. No.		Total number	Cancelled	Net issued
		From	To			
1	2	3	4	5	6	7
1	Invoices for outward supply					
2	Invoices for inward supply from unregistered person					
3	Revised Invoice					
4	Debit Note					
5	Credit Note					
6	Receipt voucher					
7	Payment Voucher					
8	Refund voucher					
9	Delivery Challan for job work					
10	Delivery Challan for supply on approval					
11	Delivery Challan in case of liquid gas					
12	Delivery Challan in cases other than by way of supply (excluding at S no. 9 to 11)					

14. Details of the supplies made through e-commerce operators on which e-commerce operators are liable to collect tax under section 52 of the Act or liable to pay tax u/s 9(5) [Supplier to report]

Nature of supply	GSTIN of e-commerce operator	Net value of supplies	Tax amount			
			Integrated tax	Central tax	State / UT tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7
(a) Supplies on which e-commerce operator is liable to collect tax u/s 52						
(b) Supplies on which e-commerce operator is liable to pay tax u/s 9(5)						

14A. Amendment to details of the supplies made through e-commerce operators on which e-commerce operators are liable to collect tax under section 52 of the Act or liable to pay tax u/s 9(5) [Supplier to report]

Nature of supply	Original details		Revised details	Net value of supplies	Tax amount			
	Month / Quarter	GSTIN of e-commerce operator	GSTIN of e-commerce operator		Integrated tax	Central tax	State / UT tax	Cess
(a) Supplies on which e-commerce operator is liable to collect tax u/s 52								
(b) Supplies on which e-commerce operator is liable to pay tax u/s 9(5)								

15. Details of the supplies made through e-commerce operators on which e-commerce operator is liable to pay tax u/s 9(5) [e-commerce operator to report]

Type of supplier	Type of recipient	GSTIN of supplier	GSTIN of recipient	Document no.	Document date	Rate	Value of supplies made	Tax amount				Place of supply
								Integrated tax	Central tax	State / UT tax	Cess	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Registered	Registered											
	Unregistered											
Unregistered	Registered											
	Unregistered											

15A (I). Amendment to details of the supplies made through e-commerce operators on which e-commerce operator is liable to pay tax u/s 9(5) [e-commerce operator to report, for registered recipients]



Type of supplier	Original details				Revised details				Rate	Value of supplies made	Tax amount				Place of supply
	GSTIN of supplier	GSTIN of recipient	Doc. no.	Doc. Date	GSTIN of supplier	GSTIN of recipient	Doc. no.	Doc. Date			Integrated tax	Central tax	State / UT tax	Cess	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Registered															
Unregistered															

15A (II). Amendment to details of the supplies made through e-commerce operators on which e-commerce operator is liable to pay tax u/s 9(5) [e-commerce operator to report, for unregistered recipients]

Type of supplier	Original details		Revised details	Rate	Value of supplies made	Tax amount				Place of supply	
	GSTIN of supplier	Tax period				GSTIN of supplier	Integrated tax	Central tax	State / UT tax		Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Registered											
Unregistered											

#### Instructions for filing of GSTR-1A:

1. It is an additional facility provided to add any particulars of current tax period missed out in reporting in FORM GSTR-1 of current tax period or amend any particulars already declared FORM GSTR-1 of current tax period (including those declared in IFF, for the first and second months of a quarter, if any, for quarterly taxpayers) The form is an optional form without levy of late fees.
2. The FORM will be available on the portal after due date of filing of FORM GSTR -1 or the actual date of filing of FORM GSTR -1 ,whichever is later, till filing of corresponding FORM GSTR-3B of the same tax period. Similarly, for quarterly taxpayers, the FORM GSTR-1A shall be opened quarterly after filing of the FORM GSTR-1 (Quarterly) or the due date of filing of FORM GSTR -1 ( Quarterly),whichever is later, till filing of FORM GSTR-3B of the same tax period.
3. The particulars declared in FORM GSTR-1A along with particulars declared in FORM GSTR-1 shall be made available in FORM GSTR-3B. In case of taxpayers opting for filing of quarterly returns the same shall be made available in FORM GSTR-3B (Quarterly) along with particular furnished in FORM GSTR-1 and IFF of Month M1 and M2 (if filed).
4. Amendment of a document which is related to change of Recipient's GSTIN shall not be allowed in GSTR-1A.
5. In addition to the GSTR-2B already generated, GSTR-2B shall also consist of all the supplies declared by the respective suppliers in GSTR-1A. However, supplies declared or amended in FORM GSTR-1A shall be made available in the next open FORM GSTR-2B. For example,

(i) a supplier issues two invoices INV1 and INV2 in the month of January 2023. Then he furnished the details of the invoice INV1 on 8<sup>th</sup> Feb 2023 in FORM GSTR-1. However, he misses one invoice INV2 and furnishes the details of the same in FORM GSTR-1A on 15<sup>th</sup> Feb 2023. In this case, INV1 will go to the FORM GSTR-2B of the recipient for the month of January made available on 14<sup>th</sup> Feb 2023. Further, INV2

will be made available in FORM GSTR-2B of the recipient for the month of February made available on 14<sup>th</sup> March 2023.

(ii) a supplier issues two invoices INV3 and INV4 in the month of January 2023. Then he furnished the details of the invoice INV3 on 15<sup>th</sup> Feb 2023 in FORM GSTR-1. However, he declared INV 4 in FORM GSTR-1A on 16<sup>th</sup> Feb 2023. In this case, both INV3 and INV4 will be made available in FORM GSTR-2B of the recipient for the month of February made available on 14<sup>th</sup> March 2023.

6. Instructions for specific tables:-

Table No.	Instructions
4A, 4B, 5, 6, 9B (for registered recipients)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taxpayers may declare additional details of invoices / documents for the current tax period other than those already declared in FORM GSTR-1.</li> </ul>
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taxpayers may declare additional details of invoices/ documents for the current tax period other than those already declared in FORM GSTR-1.</li> <li>• In case a POS with any combination of rate has already been declared in FORM GSTR-1, then a new rate cannot be added through Table 7 and the taxpayer will have to use amendment facility in Table 10 for the same.</li> </ul>
8,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taxpayers may declare additional details of Nil rated, Exempted and Non-GST supplies for the current tax period other than those already declared in FORM GSTR-1.</li> </ul>
9A and 9C	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amendment of values reported in table 4A, 4B, 5, 6A, 6B 6C and 9B in IFF, for the first and second months of a quarter, if any, and FORM GSTR-1 of the current tax period.</li> </ul>
12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HSN details as per additional/amendments details reported in FORM GSTR 1A shall be declared here. In case of any downward amendment, entry can be made with the minus sign for the differential part.</li> </ul>
11A(1) & 11A(2), 11B(1) & 11B(2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taxpayers may declare details of advances received or adjusted for the current tax period other than those already declared in FORM GSTR-1.</li> <li>• In case a POS with any combination of rate has already been declared in FORM GSTR-1, then a new rate cannot be added through these tables and the taxpayer will have to use amendment Table 11(II) as the case may be.</li> </ul>
14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taxpayers may declare additional details of supplies made through e-commerce operator for the current tax period</li> </ul>
15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ECO Taxpayers may declare additional details of supplies for unregistered recipients (rate wise) for the current tax period other than those already declared in FORM GSTR-1.</li> </ul>
10, 11(II), 14A, 15A(I), 15A(II)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taxpayers may amend details already declared in FORM GSTR-1 of the current period.”.</li> </ul>

30. In the said rules, in FORM GSTR-2A,—

(i) for the brackets, letters, words and figures “(From GSTR1, GSTR5, GSTR-6, GSTR-7, GSTR-8, import of goods and inward supplies of goods received from SEZ units / developers)”, the brackets, letters, words and figures “(From GSTR1, 1A, GSTR5, GSTR-6, GSTR-7, GSTR-8, import of goods and inward supplies of goods received from SEZ units / developers)” shall be substituted;

(ii) in Part A, —

(a) for the figures, letters and words “GSTR-1/5 period” wherever they occur, the figures, letters and words “GSTR-1/1A/5 period” shall be substituted;

(b) for the figures, letters and words “GSTR-1/5 filing date” wherever they occur, the figures, letters and words “GSTR-1/1A/5 filing date” shall be substituted;

(iii) under the heading Instructions, —

(a) in paragraph 2, for the figures, letters and words “FORMS GSTR-1, 5, 6, 7 and 8”, the figures, letters and words “FORMS GSTR-1, 1A, 5, 6, 7 and 8” shall be substituted;

(b) in paragraph 4, in the Table, —

(A) against serial number 3, in second column, —

(I) in serial number (i), for the figures, letters and words “FORM GSTR-1 and 5”, the figures, letters and words “FORM GSTR-1, 1A and 5” shall be substituted;

(II) in serial number (iii), for the figures, letters and words “FORM GSTR-1/5”, the figures, letters and words “FORM GSTR-1/ 1A and 5” shall be substituted;

(III) in serial number (iv), for the figures, letters and words “FORM GSTR-1”, the figures, letters and words “FORM GSTR-1/1A” shall be substituted;

(B) against serial number 4, in second column, in serial number (i), for the figures, letters and words “FORM GSTR-1 and 5”, the figures, letters and words “FORM GSTR-1, 1A and 5” shall be substituted;

(C) against serial number 5, in second column, —

(I) in serial number (i), for the figures, letters and words “FORM GSTR-1 and 5”, the figures, letters and words “FORM GSTR-1, 1A and 5” shall be substituted;

(II) in serial number (v),—

(1) for the figures, letters and words “FORM GSTR-1/5”, the figures, letters and words “FORM GSTR-1/ 1A and 5” shall be substituted;

(2) for the figures, letters and words “filing of FORM GSTR-1”, the figures, letters and words “filing of FORM GSTR-1/1A” shall be substituted;

(D) against serial number 6, in second column, in serial number (i), for the figures, letters and words “FORM GSTR-1 and 5”, the figures, letters and words “FORM GSTR-1, 1A and 5” shall be substituted.

31. In the said rules, for FORM GSTR-2B, the following Form shall be substituted, namely:—

**“FORM GSTR-2B**

**[See rule 60(7)]**

**Auto-drafted ITC Statement**

*(From FORM GSTR-1/IFF including E-Commerce supplies, GSTR-1A, GSTR-5, GSTR-6 and Import data received from ICEGATE)*

Financial Year	
Month	

1. GSTIN	
2(a). Legal name of the registered person	
2(b). Trade name, if any	
2(c). Date of generation	

**3. ITC Available Summary**

(Amount in ₹ for all tables)

S.No.	Heading	GSTR-3B table	Integrated Tax (₹)	Central Tax (₹)	State/UT tax (₹)	Cess (₹)	Advisory
<b>Credit which may be availed under FORM GSTR-3B</b>							
<b>Part ITC Available - Credit may be claimed in relevant headings in</b>							
<b>A GSTR-3B</b>							
I	All other ITC - Supplies from registered persons other than reverse charge	4(A)(5)					Net input tax credit may be availed under Table 4(A)(5) of FORM GSTR-3B.
Detail s	B2B - Invoices						
	B2B - Debit notes						
	ECO - Documents						
	B2B - Invoices (Amendment)						
	B2B - Debit notes (Amendment)						
	ECO - Documents (Amendment)						
II	<b>Inward Supplies from ISD</b>	<b>4(A)(4)</b>					Net input tax credit may be availed under Table

S.No.	Heading	GSTR-3B table	Integrated Tax (₹)	Central Tax (₹)	State/UT tax (₹)	Cess (₹)	Advisory
							4(A)(4) of FORM GSTR-3B.
Detail s	ISD – Invoices						
	ISD - Invoices (Amendment)						
III	<b>Inward Supplies liable for reverse charge</b>	<b>3.1(d) 4(A)(3)</b>					These supplies shall be declared in Table 3.1(d) of FORM GSTR-3B for payment of tax. Net input tax credit may be availed under Table 4A(3) of FORM GSTR-3B on payment of tax.
Detail s	B2B – Invoices						
	B2B - Debit notes						
	B2B - Invoices (Amendment)						
	B2B - Debit notes (Amendment)						
IV	<b>Import of Goods</b>	<b>4(A)(1)</b>					Net input tax credit may be availed under Table 4(A)(1) of FORM GSTR-3B.
Detail s	IMPG - Import of goods from overseas						
	IMPG (Amendment)						
	IMGSEZ - Import of goods from SEZ						
	IMGSEZ (Amendment)						

S.No.	Heading	GSTR-3B table	Integrated Tax (₹)	Central Tax (₹)	State/UT tax (₹)	Cess (₹)	Advisory
<b>Part B</b>	<b>ITC Available – Credit Notes should be net-off against relevant available headings in GSTR-3B</b>						
I	<b>Others</b>	<b>4(A)</b>					Credit Notes shall be net-off against relevant ITC available tables [Table 4A(3,4,5)]. Liability against Credit Notes (Reverse Charge) shall be net-off in Table 3.1(d).
Details	B2B - Credit notes	4(A)(5)					
	B2B - Credit notes (Amendment)	4(A)(5)					
	B2B - Credit notes (Reverse charge)	3.1(d) 4(A)(3)					
	B2B - Credit notes (Reverse charge) (Amendment)	3.1(d) 4(A)(3)					
	ISD - Credit notes	4(A)(4)					
	ISD - Credit notes (Amendment)	4(A)(4)					

#### 4. ITC Not Available Summary

(Amount in ₹ in all sections)

S.no	Heading	GSTR-3B Table	Integrated Tax (₹)	Central Tax (₹)	State/UT tax (₹)	Cess (₹)	Advisory
<b>Credit which may not be availed under FORM GSTR-3B</b>							
<b>Part A</b>	<b>ITC Not Available</b>						
I	<b>All other ITC - Supplies from registered persons other than reverse charge</b>	<b>4(D)(2)</b>					Such credit shall not be taken and has to be reported in table 4(D)(2) of FORM GSTR-3B.
Details	B2B – Invoices						
	B2B - Debit notes						
	ECO – Documents						
	B2B - Invoices						

S.no	Heading	GSTR-3B Table	Integrated Tax (₹)	Central Tax (₹)	State/UT tax (₹)	Cess (₹)	Advisory
	(Amendment)						
	B2B - Debit notes (Amendment)						
	ECO - Documents (Amendment)						
II	<b>Inward Supplies from ISD</b>	<b>4(D)(2)</b>					Such credit shall not be taken and has to be reported in table 4(D)(2) of FORM GSTR-3B
Details	ISD – Invoices						
	ISD - Invoices (Amendment)						
III	<b>Inward Supplies liable for reverse charge</b>	<b>3.1(d) 4(D)(2)</b>					These supplies shall be declared in Table 3.1(d) of FORM GSTR-3B for payment of tax.
Details	B2B – Invoices						
	B2B - Debit notes						
	B2B - Invoices (Amendment)						
	B2B - Debit notes (Amendment)						
<b>Part B ITC Not Available – Credit notes should be net-off against relevant ITC available headings in GSTR-3B</b>							
I	<b>Others</b>	<b>4(A)</b>					Credit Notes should be net-off against relevant ITC available tables [Table 4A(3,4,5)].
Details	B2B - Credit notes	4(A)(5)					
	B2B - Credit notes (Amendment)	4(A)(5)					
	B2B - Credit notes (Reverse charge)	4(A)(3)					
	B2B - Credit notes (Reverse charge) (Amendment)	4(A)(3)					
	ISD - Credit notes	4(A)(4)					
	ISD - Credit notes (Amendment)	4(A)(4)					

**5. ITC Reversal Summary (Rule 37A)**

(Amount in ₹ in all sections)

S.no	Heading	GSTR-3B Table	Integrated Tax (₹)	Central Tax (₹)	State/UT tax (₹)	Cess (₹)	Advisory
------	---------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	----------	----------

S.no	Heading	GSTR-3B Table	Integrated Tax (₹)	Central Tax (₹)	State/UT tax (₹)	Cess (₹)	Advisory
<b>Credit which may be reversed under FORM GSTR-3B</b>							
<b>Part A ITC Reversed - Others</b>							
I	<b>ITC Reversal on account of Rule 37A</b>	4(B)(2)					Such credit shall be reversed and has to be reported in table 4(B)(2) of FORM GSTR-3B.
Details	B2B – Invoices						
	B2B - Debit notes						
	B2B - Invoices (Amendment)						
	B2B - Debit notes (Amendment)						

**Instructions:**

1. Terms Used :-
  - a. ITC – Input tax credit
  - b. B2B – Business to Business
  - c. ISD – Input service distributor
  - d. IMPG – Import of goods
  - e. IMPGSEZ – Import of goods from SEZ
  - f. ECO – E-Commerce Operator

**2. Important Advisory:**

- a) FORM GSTR-2B is a statement which has been generated on the basis of the information furnished by your suppliers or by ECOs in their respective FORMS GSTR-1/IFF, 1A, 5 and 6. It is a static statement and will be made available once a month. The documents filed by the Supplier in any FORMS GSTR-1/IFF, 5 and 6 would reflect in the next open FORM GSTR-2B of the recipient irrespective of supplier's date of filing. Taxpayers are advised to refer FORM GSTR-2B for availing credit in FORM GSTR-3B. However, in case of additional details, they may refer to their respective FORM GSTR-2A (which is updated on near real time basis) for more details.
- b) In addition, the supplies declared or amended in FORM GSTR-1A shall be made available in the next open FORM GSTR-2B.
- c) Input tax credit shall be indicated to be non-available in the following scenarios: -
  - i. Invoice or debit note for supply of goods or services or both where the recipient is not entitled to input tax credit as per the provisions of sub-section (4) of Section 16 of CGST Act, 2017.
  - ii. Invoice or debit note where the Supplier (GSTIN) and place of supply are in the same State while recipient is in another State.

However, there may be other scenarios for which input tax credit may not be available to the taxpayers and the same has not been generated by the system. Taxpayers should self-assess and reverse such credit in their FORM GSTR-3B.

3. It may be noted that FORM GSTR-2B will consist of all the GSTR-1/IFFs, 5s and 6s being filed by your respective supplier or by ECOs. Generally, this date will be between filing date of GSTR-1(Monthly/Quarterly)/IFF for previous month (M-1) to filing date of GSTR-1(Monthly/Quarterly)/IFF for the current month (M). For example, GSTR-2B for the month of February will consist of all the documents filed by suppliers in their GSTR-1/IFF, 5 and 6 from 00:00 hours on 12<sup>th</sup> February to 23:59 hours on 11<sup>th</sup> March. It may be noted that for import of goods, the data is being updated on real time basis, therefore, imports made



- in the month (month for which GSTR-2B is being generated for) shall be made available. The dates for which the relevant data has been extracted is available under the “View Advisory” tab on the online portal.
4. It also contains information on imports of goods from the ICEGATE system including data on imports from Special Economic Zones Units / Developers.
  5. It may be noted that reverse charge credit on import of services is not part of this statement and will be continued to be entered by taxpayers in Table 4(A)(2) of FORM GSTR-3B.
  6. Table 3 captures the summary of ITC available as on the date of generation of GSTR-2B. It is divided into following two parts:
    - A. Part A captures the summary of credit that may be availed in relevant tables of FORM GSTR-3B.
    - B. Part B captures the summary of credit that shall be net-off from relevant table of FORM GSTR-3B.
  7. Table 4 captures the summary of ITC not available as on the date of generation of GSTR-2B. Credit available in this table shall not be availed as credit in FORM GSTR-3B but to be reported as ineligible ITC in Table 4(D)(2) of FORM GSTR-3B. However, the liability to pay tax on reverse charge basis and the liability to net-off credit on receipt of credit notes continues for such supplies.
  8. Table 5 captures the summary of ITC to be reversed under Rule 37A on or before 30th November following the end of financial year in which the ITC in respect of such invoice or debit note has been availed and corresponding FORM GSTR-3B has not been furnished by the supplier. Credit auto populated in this table shall be reversed in FORM GSTR-3B but should be reported as ITC reversed in Table 4(B)(2) of FORM GSTR-3B. Table 5 shall be made available only in FORM GSTR 2B of the September of the next financial year (made available in October).
  9. Taxpayers are advised to ensure that the data generated in FORM GSTR-2B is reconciled with their own records and books of accounts. Taxpayers shall ensure that
    - a. No credit shall be taken twice for any document under any circumstances.
    - b. Credit shall be reversed wherever necessary.
    - c. Tax on reverse charge basis shall be paid in cash.
  10. Details of invoices, credit notes, debit notes, ISD invoices, ISD credit and debit notes, bill of entries etc. will also be made available online and through download facility.
  11. There may be scenarios where a percentage of the applicable rate of tax rate may be notified by the Government. A separate column will be provided for invoices / documents where such rate is applicable.
  12. Table wise instructions:

<b>Table No. and Heading</b>	<b>Instructions</b>
<b>ITC Available Summary</b>	
Table 3 Part A Section I All other ITC - Supplies from registered persons other than reverse charge	<ol style="list-style-type: none"> <li>i. This section consists of the details of supplies (other than those on which tax is to be paid on reverse charge basis), which have been declared and filed by your suppliers or by ECOSIN their FORM GSTR-1/IFF, GSTR-1A and GSTR-5.</li> <li>ii. This table displays only the supplies on which input tax credit is available.</li> <li>iii. Negative credit, if any may arise due to amendment in B2B - Invoices and B2B - Debit notes. Such credit shall be net-off in Table 4A(5) of FORM GSTR-3B.</li> </ol>
Table 3 Part A Section II Inward Supplies from ISD	<ol style="list-style-type: none"> <li>i. This section consists of the details of supplies, which have been declared and filed by an input service distributor in their FORM GSTR-6.</li> <li>ii. This table displays only the supplies on which ITC is available.</li> <li>iii. Negative credit, if any, may arise due to amendment in ISD Amendments – Invoices. Such credit shall be net-off in table 4A(4) of FORM GSTR-3B.</li> </ol>
Table 3 Part A Section III Inward Supplies liable for reverse charge	<ol style="list-style-type: none"> <li>i. This section consists of the details of supplies on which tax is to be paid on reverse charge basis, which have been declared and filed by your suppliers in their FORM GSTR-1/IFF and GSTR-1A.</li> <li>ii. This table provides only the supplies on which ITC is available.</li> <li>iii. These supplies shall be declared in Table 3.1(d) of FORM GSTR-3B</li> </ol>

	<p>for payment of tax. Credit may be availed under Table 4(A)(3) of FORM GSTR-3B on payment of tax.</p> <p>iv. Negative credit, if any, may arise due to amendment in B2B - Invoices (Reverse Charge) and B2B - Debit notes (Reverse Charge). Such credit shall be net-off in Table 4(A)(3) of FORM GSTR-3B.</p>
Table 3 Part A Section IV Import of Goods	<p>i. This section provides the details of IGST paid by you on import of goods from overseas and SEZ units / developers on bill of entry and amendment thereof. These details are updated on near real time basis from the ICEGATE system.</p> <p>ii. This table shall consist of data on the imports made by you (GSTIN) in the month for which GSTR-2B is being generated for.</p> <p>iii. The ICEGATE reference date is the date from which the recipient is eligible to take input tax credit.</p> <p>iv. The table also provides if the Bill of entry was amended.</p> <p>v. Information is provided in the tables based on data received from ICEGATE.</p>
Table 3 Part B Section I Others	<p>i. This section consists of the details of credit notes received and amendment thereof which have been declared and filed by your suppliers in their FORM GSTR-1/IFF, GSTR-1A and GSTR-5.</p> <p>ii. These credit notes shall be net-off from relevant ITC available Tables [Table 4A(3,4,5)] of FORM GSTR-3B. Liability against Credit Notes (Reverse Charge) shall be net-off in Table 3.1(d) of FORM GSTR-3B.</p>
<b>ITC Not Available Summary</b>	
Table 4 Part A Section I All other ITC - Supplies from registered persons other than reverse charge	<p>i. This section consists of the details of supplies (other than those on which tax is to be paid on reverse charge basis), which have been declared and filed by your suppliers or by ECOs in their FORM GSTR-1/IFF, GSTR-1A and GSTR-5.</p> <p>ii. This table provides only the supplies on which ITC is not available.</p> <p>iii. Such credit shall not be taken in FORM GSTR-3B. However, such credit shall be reported as ineligible ITC in Table 4D(2) of FORM GSTR-3B.</p>
Table 4 Part A Section II Inward Supplies from ISD	<p>i. This section consists of details of the supplies, which have been declared and filed by an input service distributor in their FORM GSTR-6.</p> <p>ii. This table provides only the supplies on which ITC is not available.</p> <p>iii. Such credit shall not be taken in FORM GSTR-3B. However, such credit shall be reported as ineligible ITC in Table 4D(2) of FORM GSTR-3B.</p>
Table 4 Part A Section III Inward Supplies liable for reverse charge	<p>i. This section consists of the details of supplies liable for reverse charge, which have been declared and filed by your suppliers in their FORM GSTR-1/IFF and GSTR-1A.</p> <p>ii. This table provides only the supplies on which ITC is not available.</p> <p>iii. These supplies shall be declared in Table 3.1(d) of FORM GSTR-3B for payment of tax. However, credit will not be available on such supplies.</p> <p>iv. Such credit shall be reported as ineligible ITC in Table 4D(2) of FORM GSTR-3B.</p>
Table 4 Part B Section I Others	<p>i. This section consists details of the credit notes received and amendment thereof which have been declared and filed by your suppliers in their FORM GSTR-1/IFF, GSTR-1A and GSTR-5.</p> <p>ii. This table provides only the credit notes on which ITC is not</p>

	available. iii. Such credit notes shall be net-off from relevant ITC available tables [Table 4A(3,4,5)] of FORMGSTR-3B.
Table 5 Part A Section I ITC Reversal on account of Rule 37A	i. This table shall be made available only in FORM GSTR 2B of the September (made available in October). ii. The table shall contain details of Input Tax Credit required to be reversed in respect of invoices or debit notes of previous financial year as per Rule 37A. iii. Credit auto populated in this table shall be reversed in FORM GSTR-3B and is to be reported in Table 4(B)(2) of FORM GSTR-3B.”.

32. In the said rules, with effect from date to be notified, in FORM GSTR-3B, -

(a) For Table 6.1, the following Table shall be substituted;

Description	Tax payable	Adjustment of negative liability of previous tax period	Net Tax Payable (2-3)	Tax paid through ITC				Tax paid in cash	Interest paid in cash	Late fee paid in cash
				Integrated tax	Central tax	State/UT tax	Cesses			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>(A) Other than (i) reverse charge and (ii) supplies made u/s 9(5)</b>										
Integrated tax	<Auto>	<Auto>	<Auto>							
Central tax	<Auto>	<Auto>	<Auto>							
State/ UT tax	<Auto>	<Auto>	<Auto>							
Cess	<Auto>	<Auto>	<Auto>							
<b>(B) Reverse charge and supplies made u/s 9(5)</b>										
Integrated tax	<Auto>	<Auto>	<Auto>							
Central tax	<Auto>	<Auto>	<Auto>							
State/UT tax	<Auto>	<Auto>	<Auto>							
Cess	<Auto>	<Auto>	<Auto>							

(b) Table 6.2 shall be omitted.

33. In the said rules, in FORM GSTR-4, in Instructions, at Sr.No. 2, after the words “end of such financial year”, the words and letters “for the financial year upto FY 2023-24. Further, the details in FORM GSTR-4, for every financial year or part thereof, should be furnished till the thirtieth day of June following the end of such financial year for the financial year 2024-25 onwards.” shall be inserted.

34. In the said rules, in Form GSTR-4A, for the brackets, letters, words and figures “(Auto-drafted from GSTR-1, GSTR-5 and GSTR-7)”, the brackets, letters, words and figures “(Auto-drafted from GSTR-1, GSTR-1A, GSTR-5 and GSTR-7)” shall be substituted.

35. In the said rules, with effect from 1<sup>st</sup> day of August, 2024, in Form GSTR-5,-

(i) in serial number 6, in the heading, for the figures, letters and words “Rs. 2.5 lakh”, the figures, letters and words “ Rs. 1 lakh” shall be substituted;

(ii) in serial number 7, in the table, in clause (7B), in the heading, for the figures, letters and words “Rs. 2.5 Lakh”, the figure, letter and word “ Rs. 1 lakh” shall be substituted;

(iii) under the heading Instructions,—

(a) in serial number 7, in clause (ii), for the figures and letters “Rs. 2,50,000”, the figures and letters “ Rs. 1,00,000” shall be substituted.

(b) in serial number 8, in clause (ii), for the figures, letters and words “Rupees 2.5 lakhs”, the figure, letter and word “ Rs. 1 lakh” shall be substituted.

(c) in serial number 9, for the figures, letters and words “Rs 250000/-”, the figure and letter “Rs. 100000/-” shall be substituted.

36. In the said rules, in Form GSTR-6A, for the brackets, letters, words and figures “(Auto-drafted from GSTR-1, GSTR-5 and GSTR-7)”, the brackets, letters, words and figures “(Auto-drafted from GSTR-1, GSTR-1A, GSTR-5 and GSTR-7)” shall be substituted.

37. In the said rules, with effect from a date to be notified, in Form GSTR-7,—

(i) for Table 3, the following Table shall be substituted, namely;—

“

GSTIN of deductee	Invoice/ document details			Amount paid to deductee liable for TDS	Amount of tax deducted at source		
	No.	Date	Value		Integrated tax	Central tax	State/UT tax
1	2	3	4	5	6	7	8

”;

(ii) for Table 4, the following Table shall be substituted, namely;—

“

Original details						Revised details							
Month	GSTIN of deductee	Invoice/ document details			Amount paid to deductee liable for TDS	GSTIN of deductee	Invoice/ document details			Amount paid to deductee liable for TDS	Amount of tax deducted at source		
		No.	Date	value			No.	Date	value		Integrated tax	Central tax	State/ UT tax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

”;

(iii) in Instructions, —

(a) for instruction at serial number 2, the following instruction shall be substituted, namely:—  
“2. Table 3 to capture invoice/ document wise details of tax deducted.”;

(b) after instruction at serial number 4, the following instruction shall be inserted, namely:—  
“5. The amount liable for TDS in column 5 of Table 3 and column 6 and column 11 of Table 4, shall be the amount excluding the Central tax, State tax/ Union territory tax, Integrated tax and cess, indicated in the invoice.”.

38. In the said rules, in FORM GSTR-8, —

(i) under the heading Instructions, in paragraph 7, for the letters, words and figures “GSTR-1”, the letters, words and figures “(GSTR-1 or GSTR-1A)” shall be substituted;

(ii) in **FORM GSTR-8**, with effect from a date to be notified, –

(a) for serial number 3, the following shall be substituted, namely:-

**“3. Details of supplies made through e-commerce operator**

(Amount in Rs. for all Tables)

GSTIN of the supplier	Details of supplies made which attract TCS			Amount of tax collected at source			Place of Supply (POS)
	Gross value of supplies made	Value of supplies returned	Net amount liable for TCS	Integrated Tax	Central Tax	State /UT Tax	
1	2	3	4	5	6	7	8
3A. Supplies made to registered persons							
3B. Supplies made to unregistered persons							

”;

(b) for serial number 4, the following shall be substituted, namely:-

**“4. Amendments to details of supplies in respect of any earlier statement**

Original details			Revised details						
Month	GSTIN of supplier	GSTIN of supplier	Details of supplies made which attract TCS			Amount of tax collected at source			Place of Supply (POS)
			Gross value of supplies made	Value of supply returned	Net amount liable for TCS	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4A. Supplies made to registered persons									
4B. Supplies made to unregistered persons									
									”.

”;

39. In the said rules, in **FORM GSTR-9**, —

(A) in the Table, -

(i) in Pt. II, -

(a) in Sl no 4,

(I) after the entry relating to serial number G, the following serial number and entry relating thereto shall be inserted, namely: -

“G1	Supplies on which e-commerce operator is required to pay tax as per section 9(5) (including						
-----	---	--	--	--	--	--	--

	amendments, if any) [E-commerce operator to report]						
--	--	--	--	--	--	--	--

”;

(II) against serial number H, -for the letters and word “Sub-total (A to G above)”, the letters, figures and word “Sub-total (A to G1 above)” shall be substituted.”;

(b) in Sl no 5,

(I) after the entry relating to serial number C, the following serial number and entry relating thereto shall be inserted, namely: -

“

C1	Supplies on which tax is to be paid by e-commerce operators as per section 9(5) [Supplier to report]						
----	---	--	--	--	--	--	--

”;

(II) against serial number N, for the letter, figures and words “Total Turnover (including advances) (4N + 5M - 4G above)”, the letters, figures and word “Total Turnover (including advances) (4N + 5M - 4G - 4G1 above)” shall be substituted.”;

(B) under the heading Instructions, -

(i) in paragraph 4, -

(a) after the word, letters and figures “or FY 2022-23”, the word, letters and figures “or FY 2023-24” shall be inserted;

(b) in the Table –

(I) after the figures, letters and words “FORM GSTR-1” wherever they occur, the figures, letters and words “as amended by FORM GSTR-1A, if any” shall be inserted;

(II) after the entry relating to serial number 4G, the following serial number and entry relating thereto shall be inserted, namely: -

4G1	Aggregate values of all the supplies (net of amendments) on which tax is to be paid by the e-commerce operators under section 9(5) is to be reported by e-commerce operator. Table 15 and 15A of FORM GSTR-1 may be referred for filling up these details.
-----	--

(III) after the entry relating to serial number 5C, the following serial number and entry relating thereto shall be inserted, namely: -

5C1	Aggregate values of supplies (net of amendments) made by suppliers through e-commerce operators on which e-commerce operators are liable to pay taxes under section 9(5) is required to be reported here by supplier. Table 14(b) and 14A(b) of FORM GSTR-1 may be referred for filling up these details.
-----	---

(IV) in second column, against serial numbers 5D, 5E and 5F, the following entries shall be inserted at the end, namely: –

‘For FY 2023-24, the registered person shall report Non-GST supply (5F) separately and shall have an option to either separately report his supplies as exempted and nil rated supply or report consolidated information for these two heads in the “exempted” row only.’;

(V) in second column, against serial numbers 5H, 5I, 5J and 5K, for the figures and word “2021-22 and 2022-23”, the figures and word “2021-22, 2022-23 and 2023-24” shall be substituted;

(VI) in second column, against serial number 5N, after the letters and word “on reverse charge basis.”, the letters, figures and word “and supplies on which e-commerce operators are required to pay taxes under section 9(5).” shall be inserted.”;

(ii) in paragraph 5, in the Table, in second column, -

(a) against serial numbers 6B, 6C, 6D and 6E, for the letters and figures “FY 2019-20, 2020-21, 2021-22 and 2022-23”, the letters, figures and word “FY 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24” shall respectively be substituted;

(b) against serial numbers 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G and 7H, for the figures and word “2021-22 and 2022-23”, the figures and word “2021-22, 2022-23 and 2023-24” shall be substituted;

(c) against serial number 8A, -

(I) after the words “received from SEZs”, the words “and supplies received from E-commerce operators” shall be inserted,

(II) after the words “corresponding suppliers”, the words “including e-commerce operators” shall be inserted and

(III) the following entry shall be inserted at the end, namely: -

“However, for FY 2023-24 onwards, the total credit available for inwards supplies (other than imports and inwards supplies liable to reverse charge but includes services received from SEZs) pertaining to the financial year for which the return is being furnished and reflected in table 3(I) of FORM GSTR-2B shall be auto-populated in this table.”

(iii) in paragraph 7, -

(a) after the words and figures “filed upto 30th November, 2023.”, the following entry shall be inserted, namely: -

“For FY 2023-24, Part V consists of particulars of transactions for the previous financial year but paid in the FORM GSTR-3B of April, 2024 to October, 2024 filed upto 30th November, 2024.”;

(b) in the Table, in second column, -

(I) against serial numbers 10 & 11, the following entry shall be inserted at the end, namely: -

“For FY 2023-24, details of additions or amendments to any of the supplies already declared in the returns of the previous financial year but such amendments were furnished in Table 9A, Table 9B and Table 9C of FORM GSTR-1 of April, 2024 to October, 2024 filed upto 30th November, 2024 shall be declared here.”;

(II) against serial number 12, -

i. after the words, letters, figures and brackets “upto 30th November, 2023 shall be declared here. Table 4(B) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.”, the following entry shall be inserted, namely: -

“For FY 2023-24, aggregate value of reversal of ITC which was availed in the previous financial year but reversed in returns filed for the months of April, 2024 to October, 2024 filed upto 30th November, 2024 shall be declared here. Table 4(B) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.”;

ii. for the figures and word “2021-22 and 2022-23”, the figures and word “2021-22, 2022-23 and 2023-24” shall be substituted;

(c) against serial number 13, -

(I) after the words, letters and figures “reclaimed in FY 2023-24, the details of such ITC reclaimed shall be furnished in the annual return for FY 2023-24,”, the following entry shall be inserted, namely: -

“For FY 2023-24, details of ITC for goods or services received in the previous financial year but ITC for the same was availed in returns filed for the months of April, 2024 to October, 2024 filed upto 30th November, 2024 shall be declared here. Table 4(A) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details. However, any ITC which was reversed in the FY 2023-24 as per second proviso to sub-section (2) of section 16 but was reclaimed in FY 2024-25, the details of such ITC reclaimed shall be furnished in the annual return for FY 2024-25.”;

(II) for the figures and word “2021-22 and 2022-23”, the figures and word “2021-22, 2022-23 and 2023-24” shall be substituted;

(iv) in paragraph 8, in the Table, in second column, -

(a) against serial numbers, -

(I) 15A, 15B, 15C and 15D,

(II) 15E, 15F and 15G,

(III) 16A,

(IV) 16B and

(V) 16C;

for the figures and word “2021-22 and 2022-23” wherever they occur, the letters, figures and word “2021-22, 2022-23 and 2023-24” shall be substituted.”;

(b) against serial number 17 & 18,

(I) for the figures and word “2021-22 and 2022-23”, the letters, figures and word “2021-22, 2022-23 and 2023-24” shall be substituted.”;

(II) after the figures, letters and words “FORM GSTR-1”, the figures, letters and words “as amended by FORM GSTR-1A, if any” shall be inserted.

40. In the said rules, in FORM GSTR-9C,-

(i) under the heading Instructions, -

(a) in paragraph 4, in the Table, in second column, for the figures and word,-

i. “2021-22 and 2022-23”, wherever they occur, the figures and word “2021-22, 2022-23 and 2023-24” shall be substituted, and

ii. “2020-21 and 2021-22”, wherever they occur, the figures and word “2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24” shall be substituted;

(b) in paragraph 6, in the Table, in second column, against serial number 14, for the figures and word “2021-22 and 2022-23”, the figures and word “2021-22, 2022-23 and 2023-24” shall be substituted.

41. In the said rules, in FORM RFD-01,-



(i) under the heading Instructions, in paragraph 10, for the figures, letters and words “GSTR-1 and GSTR-2”, the figures, letters and words “GSTR-1 as amended by GSTR-1A, if any” shall be substituted;

(ii) after Statement-8, the following shall be inserted, namely:-

**“Statement 9A [rule 89(2)(bb)]**

**Refund Type: Additional integrated tax paid on upward revision in price of goods subsequent to export**

Export Invoice			Shipping Bill			Export remittance details			Refund details		Post export price increase								
											supplementary invoices/ debit note & IGST payment details						Additional export remittance details		
No.	Date	Total value of Invoice	Port of export	Country Code	BRC / FIR No.	Date	Remittance amount	Amount	Date of sanction	No.	Date	Total value of supplementary invoice	Paid in FORM GSTR-3B return period	Total additional IGST paid	Interest paid on IGST amount	BRC/ FIRC No.	Date	Additional remittance amount	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

**Statement 9B [rule 89(2)(bc)]**

**Refund Type: Details of debit/ credit notes/ supplementary invoice issued for export of goods**

S. No.	Type of document (Debit Note/ Credit Note/ supplementary invoice)	Debit Note/ Credit Note/ supplementary invoice	Date of document	Document Declared in GSTR-1 for the month	Tax liability paid/ ITC claimed in respect of document declared in GSTR-3B for the month	BRC/ foreign inward remittance certificate No.	Date of BRC/ foreign inward remittance certificate	Whether refund claimed for shipping bill under Rule 96 (Y/N)	Details of such shipping Bill No.	Date of such shipping bill	Port of export code
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	

42. In the said rules, after FORM RFD-10, the following Form shall be inserted, namely: -

**“FORM GST RFD-10A**

(See Rule 95B)

Application for refund by Canteen Stores Department (CSD)

1. GSTIN :

2. Name :
3. Address :
4. Tax Period (Quarter) : From <DD/MM/YY>To <DD/MM/YY>
5. Amount of Refund Claim :<INR><In Words>
6. Details of inward supplies of goods received:

GSTIN of the Supplier	Type of the Document	Invoice details / Debit Notes / Credit Notes			Rate	Taxable Value	Amount of Tax		
	Invoices/Credit Notes/Debit notes	No.	Date	Value			Integrated Tax	Central Tax	State Tax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Total refund applied for:

Central Tax	State/UT Tax	Integrated Tax	Total
<Total>	<Total>	<Total>	<Total>

8. Details of Bank Account:
  - a. Bank Account Number
  - b. Bank Account Type
  - c. Name of the Bank
  - d. Name of the Account Holder
  - e. Address of Bank Branch
  - f. IFSC
  - g. MICR

9. Attachment of the documents along with the refund application:

#### 10. Verification

I \_\_\_\_\_ as an authorised representative of << Name of Canteen Stores Department >> hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. I further declare that all the goods, in respect of which the refund is being claimed, have been received by us for the purpose of subsequent supply of such goods to the Unit Run Canteens of the CSD or to the authorized customers of the CSD and that no refund has been claimed earlier against any of the invoices against which refund has been claimed in this application.

Date:  
Place:

Signature of Authorised Signatory:  
Name:  
Designation / Status.”.

43. In the said rules, for the header of FORM GST APL-02, the following header shall be substituted, namely: -  
“[See Rules 108(3), 109(2), 110(1) and 111(1)]”.

44. In the said rules, after FORM GST APL-05, the following Form shall be inserted, namely: -

**“FORM GST APL-05/07 W**  
*[See rule 113A]*

#### **Application for Withdrawal of Appeal /Application filed before the Appellate Tribunal**

1. GSTIN:

2. Name of Business (Legal) (in case appeal is filed under sub-section (1) of section 112)
3. Name and designation of the appellant (in case appeal is filed under sub-section (3) of section 112):
4. Order No.& Date:
5. ARN of the Appeal & Date:
6. Reasons for Withdrawal:
  - i. Acceptance of order of the First Appellate Authority.
  - ii. Acceptance of order of an Appellate Tribunal/ Court on similar subject matter
  - iii. Need to file appeal/application again after rectification of mistakes/omission in the filed appeal/application
  - iv. Amount involved in appeal is less than the monetary limit fixed for Appeal as per provisions of sub-section (2) of section 112
  - v. Amount involved in the application is less than the monetary limit fixed for application as per the provisions of sub-section (1) of section 120
  - vi. Any other reason

7. Declaration (applicable in case appeal is filed under sub-section (1) of section 112):

I/We <Taxpayer Name> hereby solemnly affirm and declare that the information given herein is true and correct to the best of my/ our knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Place:

Signature

Date:

Name of Applicant /Applicant Officer  
Designation/ Status”.

45. In the said rules, for the FORM GST DRC-01A, the following Form shall be substituted, namely:-

**“FORM GST DRC-01A**

**Intimation of tax ascertained as being payable under section 73(5)/74(5)**

[See Rule 142 (1A), (2A)]

**Part A**

No.:

Date:

Case ID No.

To

GSTIN.....

Name.....

Address.....

**Case Proceeding Reference No.....- Intimation of liability under section 73(5)/section 74(5)**

Please refer to the above proceedings. In this regard, the amount of tax/interest/penalty payable by you under section 73(5) / 74(5) with reference to the said case as ascertained by the undersigned in terms of the available information, as is given below:

Act	Period	Tax	Interest	Penalty	Total
-----	--------	-----	----------	---------	-------

<b>CGST Act</b>					
<b>SGST/UTGST Act</b>					
<b>IGST Act</b>					
<b>Cess</b>					
<b>Total</b>					

The grounds and quantification are attached / given below:

You are hereby advised to pay the amount of tax as ascertained above along with the amount of applicable interest in full by .....,failing which Show Cause Notice will be issued under section 73(1).

**OR**

You are hereby advised to pay the amount of tax as ascertained above along with the amount of applicable interest and penalty under section 74(5) by ....., failing which Show Cause Notice will be issued under section 74(1).

In case you wish to file any submissions against the above ascertainment, the same may be furnished by..... in Part B of this Form.

Signature.....  
 Name.....  
 Designation.....  
 Jurisdiction -----  
 Address -----

*Upload Attachment*

**Part B**

**Reply to the communication for payment before issue of Show Cause Notice**

**[See Rule 142 (2A)]**

Reference No. of Intimation:

Date:

Please refer to Intimation ID..... in respect of Case ID.....vide which the liability of tax payable as ascertained under section 73(5) / 74(5) was intimated.

In this regard,

A. this is to inform that the said liability is discharged partially/ fully to the extent of Rs. .... through .....and the submissions regarding remaining liability are attached / given below:

**OR**

B. the said liability is not acceptable and the submissions in this regard are attached / given below:

--

Signature of Authorised Signatory

Name.....

Designation / Status .....

<i>Upload Attachment</i>
--------------------------

**Part C****[See Rule 142(2A)]**

Reference No. of Intimation:

Date:

To

GSTIN.....

Name.....

Address.....

**Acceptance of submission and/or payment made in reply to intimation made in Part-A of FORM GST DRC-01A**

This has reference to the communication issued in **Part-A** of **FORM GST DRC-01A** vide reference no. ----- dated -----, the payment made through **FORM GST DRC-03** vide reference no. ----- dated ----- .The said payment made by you has been found satisfactory and hence accepted.

**OR**

This has reference to the reply furnished vide reference no. ----- dated ----- in response to the communication issued in **Part-A** of **Form GST DRC-01A** vide reference no. ----- dated -----, along with the payment made through **FORM GST DRC-03** vide reference no. ----- dated ----- . The said submission and the payment made by you has been found satisfactory and hence accepted.

**OR**

This has reference to the reply furnished vide reference no. ----- dated ----- in response to the communication issued in **Part-A** of **Form GST DRC-01A** vide reference no. ----- dated ----- . The said reply has been found satisfactory and hence accepted.

Signature.....

Name.....

Designation.....

Jurisdiction .....

Address .....

<i>Upload Attachment ”;</i>
-----------------------------

46. In the said rules, in FORM GST DRC-01B,—

(i) in Part A, in serial number 1, –

(a) after the words, letters and figures “furnished by you in FORM GSTR-1”, the words, letters and figures “as amended in FORM GSTR-1A, if any,” shall be inserted;

(b) in the table, for the figures, letters and words “FORM GSTR-1/IFF”, the figures, letters and words “FORM GSTR-1/GSTR-1A/IFF” shall be substituted;

(ii) in Part B, in serial number B, in the table, for the figures, letters and words “FORM GSTR-1/IFF” wherever they occur, the figures, letters and words “FORM GSTR-1/GSTR-1A/IFF” shall be substituted.

47. In the said rules, in FORM GST DRC-03,—

(i) in Table,

(a) for entry at serial number (3A), the following entry shall be substituted, namely;—

“

3A	Shipping bill details of erroneous IGST refund (to be enabled only if the specified categories chosen in drop down menu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Shipping Bill/ Bill of Export No. &amp; Date:</li> <li>(ii) Amount of IGST paid on export of goods:</li> <li>(iii) Notification No. used for procuring inputs at concessional rate or exemption (in cases of contravention of sub-rule 10 of Rule 96):</li> <li>(iv) Date of notification:</li> <li>(v) Amount of refund received:</li> <li>(vi) Amount of erroneous refund to be deposited:</li> <li>(vii) Date of credit of refund in Bank Account: ”;</li> </ul>
----	--	--

(b) for the entry at serial number (5), the following entry shall be substituted, namely,—

“	Details of	Reference No./ARN	Date of issue/filing
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Audit</li> <li>ii. Inspection or investigation</li> <li>iii. After issuance of SCN/ Statement but before issuance of the order</li> <li>iv. Scrutiny,</li> <li>v. Intimation of tax ascertained through FORM GST DRC-01A,</li> <li>vi. Payment made in response to FORM GST DRC -01 B,</li> <li>vii. Payment made in response to FORM GST DRC -01 C,</li> <li>viii. Deposit of Erroneous Refund of unutilized ITC,</li> <li>ix. Non-receipt of foreign remittance in respect of refund of unutilized ITC on</li> </ul>		

	export of goods under Rule 96B x. Others (specify)		
--	---	--	--

;

48. In the said rules, after FORM GST DRC-03, the following Form shall be inserted, namely:—

**“FORM GST DRC- 03A**

[See rules 142(2B)]

**Application for adjustment of the amount paid through FORM GST DRC-03 against the order of demand**

1.	GSTIN	
2.	Legal name	< Auto>
3.	Trade name, if any	< Auto>
4.	ARN of DRC-03A	< Auto>
5.	Date of filing DRC-03A	< Auto>
6.	ARN of the DRC-03 through which payment made	
7.	Date of filing of DRC-03	<Auto>
8.	Amount paid through DRC-03	< Auto>

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Tax Period	Act	Place of Supply (POS)	Tax/ Cess	Interest	Penalty	Fee	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>
< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>
Total	< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>

9.	Reference no. of the order of demand against which payment was intended to be made (including rectification / appeal order)	
10.	Date of issue of the order	<Auto>
11.	Amount of demand	<Auto>

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Tax Period	Act	Place of Supply (POS)	Tax/ Cess	Interest	Penalty	Fee	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>
< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>
Total	< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>	< Auto>

12.	<p style="text-align: center;"><b><u>UNDERTAKING</u></b></p> <p>I hereby undertake that the payment made vide the FORM GST DRC-03 with unique ARN number mentioned at S. No. 6 above, has actually been paid by me as 'payment towards demand' intended to be paid against the demand (with unique ARN number of FORM GST DRC -07, or GST DRC-08 or FORM GST APL-04, as the case may be, mentioned at S. No. 9 above) and has not been used towards any other demand/ payment to be made by me.</p> <p>I also undertake to pay back to the Government the amount so adjusted using this form along with applicable interest, if any of the details declared above are found to be false subsequently. I will also be liable to penal action under Section 122(1)(x) of CGST Act.</p>
-----	--

13.	<p><b>Verification-</b></p> <p>I hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.</p>
-----	---

Date .....

Signature of Authorized Signatory  
Name  
Designation / Status ”.

49. In the said rules, for FORM GST DRC-04, the following Form shall be substituted, namely:-

**“FORM GST DRC – 04**  
[See rule 142(2) & 142(3)]

Reference No:

Date:

To

\_\_\_\_\_ GSTIN/ID

----- Name

\_\_\_\_\_ Address

Tax Period -----

F.Y. -----

ARN -

Date –



**Acknowledgement of payment made voluntarily.**

The payment made by you vide application referred to above is hereby acknowledged to the extent of the amount paid.

*This is a system generated acknowledgement and does not require signature.”.*

[F. No. CBIC-20006/21/2024-GST]

RAGHAVENDRA PAL SINGH, Director

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published vide number G.S.R. 610(E), dated the 19th June, 2017 and were last amended, vide notification No. 52/2023 -Central Tax, dated the 26<sup>th</sup> October 2023, vide number G.S.R. 798 (E), dated the 26th October 2023.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2024

**सं. 13/2024- केंद्रीय कर**

**सा.का.नि. 377(अ).**—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 8 के उपनियम (4ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, परिषद की सिफारिशों पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक 27/2022- केंद्रीय कर, तारीख 26 दिसंबर, 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में, संख्यांक सा.का.नि. 903(अ), द्वारा तारीख 26 दिसंबर, 2022 को प्रकाशित की गई थी, को उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/21/2024-जीएसटी]

राघवेंद्र पाल सिंह, निदेशक

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th July, 2024

**No. 13/2024 – Central Tax**

**G.S.R. 377(E).** — In pursuance of the powers conferred by sub-rule (4B) of rule 8 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, number 27/2022-Central Tax, dated the 26<sup>th</sup> December, 2022 published vide number G.S.R 903(E), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 26<sup>th</sup> December, 2022, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in Official Gazette.

[F. No. CBIC-20006/21/2024-GST]

RAGHAVENDRA PAL SINGH, Director

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2024

सं. 14/2024-केंद्रीय कर

**सा.का.नि. 378(अ).**— आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 44 के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसकी वित्तीय वर्ष 2023-24 में संकलित आवर्त दो करोड़ रुपए तक की है, को उक्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने से छूट प्रदान करता है।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/21/2024-जीएसटी]

राघवेंद्र पाल सिंह, निदेशक

## NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2024

No. 14/2024 – Central Tax

**G.S.R. 378(E).** — In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 44 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby exempts the registered person whose aggregate turnover in the financial year 2023-24 is up to two crore rupees, from filing annual return for the said financial year.

[F. No. CBIC-20006/21/2024-GST]

RAGHAVENDRA PAL SINGH, Director

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2024

सं. 15 /2024- केंद्रीय कर

**सा.का.नि. 379(अ).**— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 52 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 52/2018- केंद्रीय कर, तारीख 20 सितंबर, 2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i), में संख्यांक सा.का.नि. 900(अ) तारीख 20 सितंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, “आधे प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर “0.25 प्रतिशत” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/21/2024-जीएसटी]

राघवेंद्र पाल सिंह, निदेशक

**टिप्पण:-** मूल अधिसूचना संख्यांक 52/2018- केन्द्रीय कर, तारीख 20 सितंबर, 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i), में संख्यांक सा.का.नि. .900(अ), तारीख 20 सितंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th July, 2024

**No. 15/2024- Central Tax**

**G.S.R. 379(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 52 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 52/2018-Central Tax, dated the 20<sup>th</sup> September, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 900(E), dated the 20th September, 2018, namely:-

In the said notification, for the words “half per cent.”, the figure and word “0.25 per cent.” shall be substituted.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in official gazette.

[F. No. CBIC-20006/21/2024-GST]

RAGHAVENDRA PAL SINGH, Director

**Note:** - The principal Notification No. 52/2018-Central Tax, dated the 20<sup>th</sup> September, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 900(E), dated the 20th September, 2018.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2024

**सं. 01 /2024- एकीकृत कर**

**सा.का.नि. 380(अ).**— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 52 की उपधारा 1 के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 02/2018- एकीकृत कर, तारीख 20 सितंबर, 2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i), में संख्यांक सा.का.नि. 901(अ), तारीख 20 सितंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, “एक प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर “आधे प्रतिशत” शब्द रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/21/2024-जीएसटी]

राघवेंद्र पाल सिंह, निदेशक

**टिप्पण:-** मूल अधिसूचना संख्यांक 02/2018- एकीकृत कर, तारीख 20 सितंबर, 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i), में संख्यांक सा.का.नि 901(अ), तारीख 20 सितंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th July, 2024

**No. 01/2024- Integrated Tax**

**G.S.R. 380(E).** — In exercise of the powers conferred by the second proviso to section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (1) of section 52 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 02/2018-Integrated Tax, dated the 20<sup>th</sup> September, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 901(E), dated the 20th September, 2018, namely:-

In the said notification, for the words “one per cent.”, the words “half per cent.” shall be substituted.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in official gazette.

[F. No. CBIC-20006/21/2024-GST]

RAGHAVENDRA PAL SINGH, Director

**Note:** - The principal Notification No. 02/2018-Integrated Tax, dated the 20<sup>th</sup> September, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 901(E), dated the 20th September, 2018.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2024

**सं. 01/2024- संघ राज्य क्षेत्र कर**

**सा.का.नि. 381(अ).**— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 52 की उपधारा 1 तथा संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित धारा 22 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 12/2018-संघ राज्य क्षेत्र कर, तारीख 28 सितंबर, 2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i), में संख्यांक सा.का.नि. 940(अ), तारीख 28 सितंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, “आधे प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर “0.25 प्रतिशत” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/21/2024-जीएसटी]

राघवेंद्र पाल सिंह, निदेशक

**टिप्पण:-** मूल अधिसूचना संख्यांक 12/2018-संघ राज्य क्षेत्र कर, तारीख 28 सितंबर, 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड(i), में संख्यांक सा.का.नि. 940(अ), तारीख 28 सितंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th July, 2024

**No. 01/2024- Union Territory Tax**

**G.S.R. 381(E).** — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 read with section 21 of Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of the 2017) and sub-section (1) of section 52 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 12/2018-Union Territory Tax, dated the 28<sup>th</sup> September, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 940(E), dated the 28<sup>th</sup> September, 2018, namely:-

In the said notification, for the words “half per cent.”, the figure and word “0.25 per cent.” shall be substituted.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in official gazette.

[F. No. CBIC-20006/21/2024-GST]

RAGHAVENDRA PAL SINGH, Director

**Note:** - The principal Notification No. 12/2018-Union Territory Tax, dated the 28<sup>th</sup> September, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 940(E), dated the 28<sup>th</sup> September, 2018.